



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273964
CG-DL-E-01072026-273964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 456]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

सा.का.नि. 507(अ).— अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी के जलयान—वर्गीकरण और मानक) नियम, 2026 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 42 की उप-धारा (1) और (2) तथा धारा 98 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—जिसे धारा 106 की उप-धारा (2) के खंड (zh) के साथ पढ़ा जाए—बनाने का प्रस्ताव करती है, उसे उक्त अधिनियम की धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप में, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर, उस तारीख के तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना की प्रतियां, जैसा कि राजपत्र में प्रकाशित हैं, जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

इन मसौदा नियमों के संबंध में, यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों, तो उन्हें निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 422, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को, अथवा ईमेल द्वारा diriwt1-psw@gov.in, psw-usiwt2@gov.in, soiwt1-psw@gov.in और iwt-team@gov.in पर, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजा जा सकता है;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी के जलयान—वर्गीकरण और मानक) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम उन सभी विशेष श्रेणी के जलयानों पर लागू होंगे, जिनकी कील इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् रखी गई हो अथवा जो निर्माण की समान अवस्था में हों।

3. परिभाषाएं- (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021(2021 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “स्वचालित जलयान” से अभिप्राय ऐसे यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान से है, जो जलयान पर चालक दल के बिना अथवा अत्यंत कम चालक दल के साथ संचालित होता हो तथा जिसका दूरस्थ रूप से पर्यवेक्षण या नियंत्रण किया जाता हो;

(ग) नहर कूज़ नौका से अभिप्राय ऐसे यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान से है, जिसमें हाउसबोट भी सम्मिलित है, जिसे मुख्यतः व्यावसायिक गतिविधियों अथवा निजी पर्यटन या मनोरंजन गतिविधियों हेतु अस्थायी आवास के लिए अभिकल्पित या संशोधित किया गया हो तथा जिसमें पचास से अधिक यात्री न हों।

(घ) “वर्गीकरण संस्था” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के खंड (zo) के अर्थ के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऐसे संगठन से है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़ का सदस्य हो;

(ङ) “नामित प्राधिकारी” से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु तथा अधिनियम एवं इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों, प्राधिकार अथवा कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया हो।

(च) “भ्रमण नौका” से अभिप्राय ऐसे निजी अथवा व्यावसायिक यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान से है, जो अंतर्देशीय जलमार्गों पर अल्प अवधि के मनोरंजन, पर्यटन अथवा दर्शनीय यात्रा हेतु संचालित होता हो, जिसमें रात्रि विश्राम की व्यवस्था न हो तथा जो उसी दिन उसी अथवा अन्य बर्थिंग स्थल पर लौट आता हो;

(छ) “फॉर्म” से अभिप्राय इन नियमों से संलग्न फॉर्म से है;

(ज) “अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री” से अभिप्राय उन सामग्रियों से है, जो धातुओं के अतिरिक्त जलयान निर्माण में प्रयुक्त होती हैं, जिनमें लकड़ी, फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक अथवा ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक या अन्य समान मिश्रित सामग्री सम्मिलित हैं;

(झ) “परिचालन क्षेत्र” से अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी ज़ोन के अधीन आने वाले अंतर्देशीय जल क्षेत्र से है, जिसके भीतर जलयानों का संचालन किया जाना है, चाहे जलयान का पंजीकरण किसी भी स्थान पर हुआ हो;

(ञ) “संचालक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी मनोरंजन जलयान का संचालन करता हो;

(ट) “मनोरंजन जलयान” से अभिप्राय ऐसे यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान से है, जिसमें भ्रमण नौका भी सम्मिलित है, जिसकी लंबाई दस मीटर से कम हो तथा जिसका उपयोग निजी अथवा व्यावसायिक जलक्रीड़ा, नदी अथवा झील भ्रमण, समुद्री सैर तथा अन्य प्रकार के नौकायन, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग अथवा अन्य समान व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधियों के लिए किया जाता हो;

(ठ) “अर्ध-स्वचालित जलयान” से अभिप्राय ऐसे यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान से है, जिसमें कुछ नौवहन अथवा परिचालन कार्यों के निष्पादन हेतु केंद्रीकृत अथवा उन्नत नियंत्रण प्रणाली सम्मिलित हो, जबकि संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु जलयान पर चालक दल बना रहता हो तथा राज्य के नामित प्राधिकारी द्वारा अनुमत सीमा तक चालक दल में कमी की जा सकती हो;

(ड) “तट” से अभिप्राय जलतटीय भूमि की उस पट्टी अथवा क्षेत्र से है, जो अंतर्देशीय जल निकाय के किनारे स्थित हो;

(ढ) “विशेष श्रेणी जलयान” से अभिप्राय नियम 4 के अंतर्गत वर्गीकृत यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयानों से है;

(ण) “स्पीड बोट” से अभिप्राय ऐसे यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयान से है, जिसका पतवार प्लानिंग अथवा अर्ध-प्लानिंग प्रकार का हो तथा जो उच्च गति प्राप्त करने हेतु अभिकल्पित एवं सक्षम हो और फ्रूड संख्या 0.8 या उससे अधिक पर संचालित होता हो;

(त) “सर्वेक्षक” से अभिप्राय ऐसे अधिकारी अथवा व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें प्रदान किए गए हैं।

अध्याय – I प्रारंभिक

4. विशेष श्रेणी जलयान –

(1) यांत्रिक रूप से संचालित अंतर्देशीय जलयानों को उनके डिजाइन एवं निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, ईंधन प्रणाली अथवा प्रणोदन हेतु शक्ति स्रोत, निजी अथवा व्यावसायिक जलक्रीड़ा गतिविधियों तथा अन्य मनोरंजन गतिविधियों में उपयोग के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, निम्नानुसार विशेष श्रेणी जलयानों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा: –

(क) वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन अंतर्देशीय जलयान, जिनमें उपयोग किया जाता हो –

- (i) ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस अथवा संपीडित प्राकृतिक गैस;
- (ii) मुख्य प्रणोदन हेतु अथवा प्रणोदन के अतिरिक्त शक्ति स्रोत के रूप में बैटरियाँ;
- (iii) ईंधन के रूप में मेथेनॉल;
- (iv) मुख्य प्रणोदन हेतु हाइड्रोजन ईंधन सेल अथवा हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन; तथा
- (v) ईंधन के रूप में अमोनिया;

(ख) उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान, अर्थात् –

- (i) ऐसे स्वचालित अंतर्देशीय जलयान, जिनकी दूरस्थ रूप से निगरानी एवं नियंत्रण किया जाता हो;
- (ii) केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली एवं जलयान पर चालक दल वाले अर्ध-स्वचालित अंतर्देशीय जलयान;
- (ग) अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित अंतर्देशीय जलयान, जिनके संरचनात्मक भार (पतवार, डेक एवं सुपर-स्ट्रक्चर) का न्यूनतम साठ प्रतिशत निम्नलिखित से निर्मित हो –

- (i) लकड़ी;
- (ii) ग्लास प्रबलित प्लास्टिक अथवा फाइबर प्रबलित प्लास्टिक; तथा
- (iii) मिश्रित अथवा अन्य समान वैकल्पिक सामग्री;

(घ) मनोरंजन एवं पर्यटन जलयान, अर्थात् –

- (i) मनोरंजन जलयान; तथा
- (ii) नहर कूज नौकाएँ।

(2) ऐसा कोई जलयान, जो उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आता हो, उसका वर्गीकरण नामित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में किया जाएगा, अर्थात् –

- (i) वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयान;
- (ii) उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान;
- (iii) मनोरंजन एवं पर्यटन जलयान; तथा
- (iv) अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित अंतर्देशीय जलयान: परंतु ,

हाइब्रिड (इंजन एवं बैटरी दोनों द्वारा संचालित) अथवा बैटरी संचालित मनोरंजन एवं पर्यटन जलयान, जिनकी कुल प्रणोदन शक्ति 100 किलोवाट से कम हो अथवा जिनकी लंबाई 10 मीटर से कम हो तथा जो ज़ोन 2 अथवा ज़ोन 3 में संचालित हों, उन्हें मनोरंजन एवं पर्यटन जलयान माना जाएगा।

5. सर्वेक्षण एवं प्रमाणन – (1) नियम 4 के खंड (क) एवं (ख) में निर्दिष्ट विशेष श्रेणी जलयानों का डिजाइन, निर्माण एवं अनुरक्षण किसी वर्गीकरण संस्था के सर्वेक्षण के अधीन किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसा जलयान, जो बैटरी चालित हो, जिसकी कुल प्रणोदन शक्ति 100 किलोवाट से कम हो अथवा जिसकी लंबाई 10 मीटर से कम हो तथा जो ज़ोन 2 अथवा ज़ोन 3 में संचालित हो, यदि जलयान का मालिक ऐसा विकल्प चुनता है, तो उसका डिजाइन, निर्माण एवं अनुरक्षण नामित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अधीन किया जा सकेगा।

(2) नियम 4 के खंड (ग) एवं (घ) में निर्दिष्ट विशेष श्रेणी जलयानों का डिजाइन, निर्माण एवं अनुरक्षण, उनके परिचालन क्षेत्र के अनुसार, अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारियों के सर्वेक्षण के अधीन किया जाएगा, जो उन जलयानों पर लागू हों।

(3) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट ज़ोन 1 में संचालित सभी विशेष श्रेणी जलयानों का डिजाइन, निर्माण एवं अनुरक्षण किसी वर्गीकरण संस्था के सर्वेक्षण के अधीन किया जाएगा।

(4) वर्गीकरण संस्था द्वारा किया गया सर्वेक्षण, अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त सर्वेक्षक द्वारा किए गए सर्वेक्षण अथवा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अतिरिक्त होगा।

(5) किसी विशेष श्रेणी जलयान का सर्वेक्षण प्रमाणपत्र इन नियमों से संलग्न फॉर्म डी में जारी किया जाएगा तथा अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण एवं प्रमाणन) नियम, 2022 का फॉर्म संख्या 5 ऐसे जलयान पर लागू नहीं होगा।

6. मनोरंजन जलयान अथवा नहर कूज़ नौका के मालिक के दायित्व—मनोरंजन जलयान अथवा नहर कूज़ नौका का मालिक

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि मनोरंजन जलयानों एवं नहर कूज़ नौकाओं पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में चालक दल नियुक्त हो;

(ख) मनोरंजन जलयानों एवं नहर कूज़ नौकाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु केवल ऐसे योग्य एवं सक्षम चालक दल के सदस्यों को नियुक्त करेगा, जिनके पास नामित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस हो;

(ग) इन नियमों के अनुसार मनोरंजन जलयानों एवं नहर कूज़ नौकाओं हेतु चालक दल के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा;

(घ) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा;

(ङ) जलयान को फॉर्म डी में नामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही संचालित करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि मनोरंजन जलयान तट की दृश्य सीमा के भीतर ही संचालित हों तथा संचालन के दौरान हर समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते रहें;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि नहर कूज़ नौका का संचालन, जब तक नामित प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो, केवल दिन के समय, अनुकूल मौसम तथा सुरक्षित परिस्थितियों में ही सीमित रहेगा, जिसमें पवन वेग, असामयिक वर्षा तथा अंतर्देशीय जल तरंगों जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण. – इस खंड के प्रयोजनों हेतु “अनुकूल मौसम” से अभिप्राय ऐसी अवधि से है, जिसमें पवन एवं जल की परिस्थितियाँ अनुकूल हों, जैसा कि महानिदेशक नौवहन अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

7. विशेष श्रेणी जलयानों हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताएँ— भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(क) विशेष श्रेणी जलयानों के संचालन हेतु चालक दल की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा लागू पाठ्यक्रमों, जिनमें पाठ्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम-सामग्री सम्मिलित हैं, की समीक्षा करेगा तथा समय-समय पर ऐसी आवश्यकताओं में संशोधन करेगा; तथा

(ख) ऐसे प्रशिक्षण के कार्यान्वयन, मानकीकरण एवं संचालन के प्रयोजन हेतु दिशा-निर्देश, जिनमें अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र सम्मिलित हैं, जारी करेगा, जिनमें पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, अवधि, मूल्यांकन एवं प्रमाणन भी सम्मिलित होगा।

अध्याय – 2

वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयानों के डिजाइन, निर्माण एवं चालक दल के मानदंड एवं मानक

8. अध्याय 2 का अनुप्रयोग— इस अध्याय के प्रावधान नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयानों पर लागू होंगे।

9. डिजाइन एवं निर्माण के मानक - (1) वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयानों के डिजाइन एवं निर्माण के मानक अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 तथा अन्य लागू नियमों के प्रावधानों के अधीन होंगे:

परंतु यह कि ऐसे जलयानों के इंजन एवं उनकी वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति प्रणाली अथवा बैटरियों एवं बैटरी प्रबंधन प्रणाली सहित मोटर, प्रणोदन प्रणाली तथा अन्य संबंधित घटक, जो अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 एवं अन्य लागू नियमों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, उनका डिजाइन एवं निर्माण किसी वर्गीकरण संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार किया जाएगा।

परंतु यह भी कि बैटरी चालित ऐसे जलयानों के घटक, जिनकी कुल प्रणोदन शक्ति 100 किलोवाट से कम हो अथवा जिनकी लंबाई 10 मीटर से कम हो तथा जो ज़ोन 2 अथवा ज़ोन 3 में संचालित हों, उनका डिजाइन एवं निर्माण निम्नलिखित द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार किया जाएगा -

(क) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा

(ख) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; या

(ग) कोई वर्गीकरण संस्था

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट जलयान का मालिक, डिजाइन एवं निर्माण मानकों के संबंध में घोषणा, फार्म- ग में, नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

10. अनुपालन की सीमा - (1) नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयान का निर्माण, उपकरणों से सुसज्जन, अनुरक्षण तथा संचालन इन नियमों के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में किया जाएगा।

(2) नियम 5 के अंतर्गत किसी भी वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयान के संबंध में सर्वेक्षण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान इन नियमों में विनिर्दिष्ट डिजाइन, निर्माण, उपकरण एवं सुरक्षा मानकों के पूर्ण अनुपालन में न हो।

(3) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संचालित प्रत्येक विद्यमान वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयान, ऐसे जलयानों पर लागू डिजाइन एवं निर्माण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहेगा:

परंतु यह कि जब भी ऐसा जलयान अपने प्रणोदन तंत्र, ईंधन तंत्र अथवा मुख्य इंजनों में परिवर्तन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन का उपयोग प्रारंभ करेगा, तब ऐसे परिवर्तन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

11. चालक दल - (1) नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयान, अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2026 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालक दल आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी वैकल्पिक ईंधन एवं प्रणोदन जलयान पर मास्टर, इंजन चालक अथवा अंतर्देशीय अभियंता के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि -

(क) उसने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न किया हो; तथा

(ख) उसके सक्षमता प्रमाणपत्र पर उस जलयान की श्रेणी के लिए, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, नामित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अनुमोदन अंकित न हो।

अध्याय - 3

उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों के डिजाइन, निर्माण एवं चालक दल के मानदंड एवं मानक

12. अध्याय 3 का अनुप्रयोग. - इस अध्याय के प्रावधान नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों पर लागू होंगे।

13. उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों के डिजाइन एवं निर्माण के मानक -

(1) उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों के डिजाइन एवं निर्माण के मानक अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 तथा अन्य लागू नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(2) ऐसे जलयानों के स्वचालन संबंधी घटक अथवा अन्य घटक, जो उप-नियम (1) के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, उनका डिजाइन एवं निर्माण निम्नलिखित द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार किया जाएगा -

(क) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा

(ख) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; अथवा

(ग) कोई वर्गीकरण संस्था।

(3) जलयान का मालिक डिजाइन एवं निर्माण मानकों संबंधी घोषणा फार्म-ग में नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

14. उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों के अनुपालन की सीमा –

(1) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संचालित प्रत्येक विद्यमान उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान, ऐसे जलयानों पर लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहेगा:

परंतु यह कि जब भी ऐसा जलयान अपने नौवहन तंत्र, प्रणोदन तंत्र, नियंत्रण संरचना अथवा स्वचालित घटकों में परिवर्तन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन करेगा, तब ऐसे परिवर्तन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

परंतु यह भी कि ऐसे जलयानों के चालक दल संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा एवं संशोधन नियम 15 के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

(2) अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट संचार एवं विफलता – सुरक्षित (फेल-सेफ) तंत्र, नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्वचालित एवं अर्ध-स्वचालित जलयानों पर लागू होंगे।

(3) प्रत्येक उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान का डिजाइन, निर्माण, उपकरणों से सुसज्जित, अनुरक्षण एवं संचालन इन नियमों के पूर्ण अनुपालन में किया जाएगा।

(4) नियम 5 के अंतर्गत किसी भी उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान इन नियमों में विनिर्दिष्ट लागू डिजाइन, निर्माण, स्वचालन, नौवहन, सुरक्षा एवं नियंत्रण मानकों के पूर्ण अनुपालन में न हो।

15. उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों का चालक दल. –

(1) प्रत्येक उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान, अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2026 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालक दल आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

(2) उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों के चालक दल संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण नामित प्राधिकारी द्वारा जोखिम-आधारित मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, अर्थात् –

(क) स्वचालन का स्तर;

(ख) परिचालन क्षेत्र;

(ग) संचालन का प्रकार (मालवाहक, यात्री, सर्वेक्षण अथवा निगरानी);

(घ) यात्रा की अवधि; तथा

(ङ) बैकअप प्रणालियों की उपलब्धता एवं पर्याप्तता;

परंतु यह कि नामित प्राधिकारी, मास्टर को छोड़कर, ऐसे जलयानों के चालक दल की संख्या में कमी कर सकता है, बशर्ते कि इससे चालक दल, यात्रियों (यदि कोई हों) तथा अंतर्देशीय जल में संचालित अन्य जलयानों की सुरक्षा से समझौता न हो, और ऐसी छूट जलयान के सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में अभिलिखित की जाएगी।

(3) स्वचालित जलयानों को, नामित प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, दूरस्थ निगरानी एवं तटीय सहायता के अधीन, बिना जलयान पर चालक दल के संचालन की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि चालक दल, यात्रियों (यदि कोई हों) तथा अंतर्देशीय जल में संचालित अन्य जलयानों की सुरक्षा से समझौता न हो।

परंतु यह कि जहाँ चालक दल जलयान पर भौतिक रूप से उपस्थित न हो, वहाँ ऐसे जलयान एवं नामित नियंत्रण केंद्र के मध्य सतत संचार प्रणाली तथा वास्तविक समय निगरानी अवसंरचना बनाए रखना अनिवार्य होगा, जिसका निरीक्षण एवं प्रमाणन इन नियमों के अंतर्गत लागू प्राधिकारियों द्वारा किया गया हो।

स्पष्टीकरण. – इस उप-नियम के प्रयोजनों हेतु “नामित नियंत्रण केंद्र” से अभिप्राय ऐसे नामित तटीय सुविधा केंद्र से है, जो स्वचालित अथवा अर्ध-स्वचालित जलयानों की वास्तविक समय निगरानी एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हो।

(4) कोई व्यक्ति उन्नत प्रौद्योगिकी जलयान पर मास्टर, इंजन चालक अथवा अंतर्देशीय अभियंता के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि –

(क) उसने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न किया हो; तथा

(ख) उसके सक्षम्यता प्रमाणपत्र पर उस जलयान की श्रेणी के लिए, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, नामित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अनुमोदन अंकित न हो।

अध्याय – 4

अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित जलयानों के डिजाइन, निर्माण एवं चालक दल के मानदंड एवं मानक

16. अध्याय 4 का अनुप्रयोग. –

(1) इस अध्याय के प्रावधान नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित जलयानों पर लागू होंगे।

17. डिजाइन एवं निर्माण के मानक. –

(1) अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित नए जलयानों के डिजाइन एवं निर्माण के मानक अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 तथा अन्य लागू नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे:

परंतु यह कि सामग्री एवं संरचनात्मक डिजाइन के लिए नामित प्राधिकारी निम्नलिखित मानकों पर भी विचार कर सकेगा, अर्थात् –

(क) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा

(ख) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; अथवा

(ग) कोई वर्गीकरण संस्था

(2) अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 के प्रासंगिक प्रावधान अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित जलयानों पर लागू होंगे, ऐसे अनुकूलनों, विधियों, सामग्रियों अथवा व्यवस्थाओं के अधीन, जिन्हें नामित प्राधिकारी युक्तिसंगत समझे।

परंतु यह कि नामित प्राधिकारी, भारतीय मानक ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अथवा किसी वर्गीकरण संस्था द्वारा जारी वैकल्पिक मानकों के अनुपालन की अनुमति देते समय, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसे मानक विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में समान अथवा उच्चतर सुरक्षा स्तर प्रदान करते हैं।

परंतु यह भी कि कोई ऐसा अनुकूलन, संशोधन अथवा छूट की अनुमति नहीं होगी, जिससे संरचनात्मक अखंडता, जलरोधक अखंडता, स्थिरता, फ्रीबोर्ड, अग्नि सुरक्षा, मशीनरी सुरक्षा एवं आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों संबंधी आवश्यकताओं में कमी आती हो।

(3) मालिक, अपनाए गए डिजाइन एवं निर्माण मानकों के संबंध में घोषणा फॉर्म- ग में नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

18. अनुपालन की सीमा. –(1) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संचालित प्रत्येक अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित विद्यमान जलयान, ऐसे जलयानों पर लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहेगा:

परंतु यह कि जहाँ ऐसा जलयान अपने पतवार, डेक अथवा सुपर-स्ट्रक्चर में परिवर्तन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन करता है, वहाँ ऐसे परिवर्तन, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

(2) अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित प्रत्येक जलयान का डिजाइन, निर्माण, उपकरणों से सुसज्जन, अनुरक्षण एवं संचालन इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा।

(3) नियम 5 के अंतर्गत किसी भी अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित जलयान को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान इन नियमों में विनिर्दिष्ट लागू डिजाइन एवं निर्माण मानकों के अनुपालन में न हो।

19. चालक दल – (1) अधात्विक एवं मिश्रित सामग्री से निर्मित प्रत्येक जलयान, अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2026 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालक दल आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

(2) कोई व्यक्ति उन्नत प्रौद्योगिकी जलयानों पर मास्टर, इंजन चालक अथवा अंतर्देशीय अभियंता के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि –

(क) उसने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न किया हो; तथा

(ख) उसके सक्षमता प्रमाणपत्र पर उस जलयान की श्रेणी के लिए, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, नामित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अनुमोदन अंकित न हो।

अध्याय – 5

मनोरंजन जलयानों के डिजाइन एवं निर्माण के मानदंड एवं मानक

20. अध्याय 5 का अनुप्रयोग. – इस अध्याय के प्रावधान 10 मीटर तक की लंबाई वाले उन मनोरंजन जलयानों पर लागू होंगे, जो जलक्रीड़ा गतिविधियों में संलग्न हों, जिनमें पैरासेलिंग संचालन हेतु प्रयुक्त जलयान भी सम्मिलित हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट है।

21. डिजाइन एवं निर्माण के मानक. –(1) नियम 20 में निर्दिष्ट जलयान निम्नलिखित द्वारा विनिर्दिष्ट लागू मानकों का अनुपालन करेंगे –

(i) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा

(ii) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; अथवा

(iii) कोई वर्गीकरण संस्था।

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मनोरंजन जलयानों का डिजाइन एवं निर्माण निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा, अर्थात् –

(क) पतवार का डिजाइन स्थिरता, उत्प्लावन एवं सुचारु संचालन प्रदान करेगा तथा पतवार का प्रकार, आवश्यकता अनुसार, कैटामरैन, मोनोपतवार अथवा मल्टीपतवार विन्यास का हो सकता है;

(ख) ट्रांसम एवं पतवार-डेक जोड़ जैसे तनाव बिंदुओं को उच्च गति संचालन के दौरान उत्पन्न भार को सहन करने हेतु सुदृढ़ किया जाएगा;

(ग) भार स्थितियों का विश्लेषण फाइनाइट एलिमेंट विश्लेषण अथवा समकक्ष संगणकीय विधियों द्वारा किया जाएगा;

(घ) संरचनात्मक डिजाइन तथा सामग्री चयन एवं स्कैंटलिंग गणनाएँ उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागू मानकों के अनुसार की जाएँगी;

(ङ) सभी घटकों का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री-ग्रेड सामग्री से किया जाएगा, जो संक्षारण, पराबैंगनी विकिरण तथा यांत्रिक घिसाव के प्रति प्रतिरोधी हों;

(च) निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के प्रकारों में स्टील, एल्युमिनियम, फाइबरग्लास, मरीन प्लाईवुड, कार्बन फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), पॉलीयूरेथेन, हाइपालोन तथा पॉलीएथिलीन सम्मिलित होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे;

(छ) जलक्रीड़ा एवं संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त मनोरंजन जलयानों की स्थिरता एवं उत्प्लावन आवश्यकताएँ उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होंगी।

(3) सभी मनोरंजन जलयान –

(क) अपनी श्रेणी के अनुसार सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सामग्री से सुसज्जित होंगे;

(ख) अपने आकार, प्रकार, प्रणोदन प्रणाली एवं प्रस्तावित संचालन के अनुरूप पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं जीवनरक्षक उपकरणों से युक्त होंगे, जैसा कि अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) नियम, 2022 तथा अंतर्देशीय जलयान (जीवनरक्षक उपकरण) नियम, 2022 के अनुसार नामित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाए;

(ग) निम्नलिखित से युक्त होंगे –

(i) मशीनरी कक्षों एवं यात्री कक्षों (यदि लागू हो) में अतिरिक्त अग्निशामक यंत्र;

(ii) कम-से-कम एक रस्सी सहित अग्निशमन बाल्टी; तथा

(iii) मशीनरी कक्ष (यदि लागू हो) में फावड़े सहित एक रेत पात्र;

(iv) उपयुक्त क्षमता वाले पोर्टेबल अग्निशमन पंप (जो बारह घन मीटर प्रति घंटा से कम न हों);

(v) ऐसे जलयानों की श्रेणी के अनुसार लागू जीवनरक्षक उपकरण।

परंतु यह कि नामित प्राधिकारी, छह मीटर से अधिक लंबाई न रखने वाले छोटे खुले मनोरंजन जलयानों के मामले में, जो कम शक्ति वाले आउटबोर्ड इंजन से युक्त हों तथा जिनमें बंद मशीनरी कक्ष न हो, अग्निशमन पंप तथा ऐसे अग्निशमन एवं जीवनरक्षक उपकरणों की आवश्यकता से छूट प्रदान कर सकेगा, जो व्यवहारिक न हों, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि वह संतुष्ट हो कि –

(क) ऐसे उपकरणों की अनुपस्थिति से चालक दल, यात्रियों (यदि कोई हों) अथवा जलयान की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता; तथा

(ख) जलयान पर पर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाएँ, जिनमें पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र एवं व्यक्तिगत उत्प्लावन उपकरण सम्मिलित हों, उपलब्ध कराई गई हों।

(4) उप-नियम (3) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सभी जलयानों पर निम्नलिखित न्यूनतम सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे, अर्थात् –

(क) प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें शिशु एवं बालक भी सम्मिलित हैं, के लिए टाइप III अथवा टाइप V व्यक्तिगत उत्प्लावन उपकरण, जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हों;

(ख) पूर्णतः सुसज्जित, सुलभ एवं जलरोधक प्राथमिक उपचार किट, जिसे स्पष्ट एवं आसानी से पहचान योग्य स्थान पर रखा जाएगा;

(ग) सीटी, ध्वनि संकेत उपकरण (हॉर्न) तथा अनुमोदित दृश्य संकेत संकेत (जैसे फ्लेयर्स) को स्पष्ट एवं आसानी से पहचान योग्य स्थान पर रखा जाएगा;

(घ) अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौवहन, संचार एवं संकेत) नियम, 2022 में विनिर्दिष्ट नौवहन प्रकाश उपलब्ध होंगे;

(ङ) जलयान की श्रेणी, लंबाई एवं इंजन शक्ति के अनुसार सुरक्षा उपकरण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे, अर्थात् –

तालिका

क्र.सं.	जहाज़ का प्रकार	लंबाई	इंजन शक्ति	न्यूनतम उपकरण	सुरक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भ्रमण नाव (टिलर/रिमोट ओबीएम)	< 3.5 मीटर	ओबीएम < 30 एच पी	- बचाव नली (1) - 2 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)	
2	भ्रमण नाव (टिलर/रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	< 6 मीटर	टिलर ओबीएम < 40 एचपी रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड < 75 एच पी	- बचाव नली (1) - लाइफ बुऑय (1) - 4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)	
3	भ्रमण नाव (रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	6 – 10 मीटर	टिलर ओबीएम < 40 एचपी रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड < 90 एच पी	- बचाव नली (2) - लाइफ बुऑय (1) - 4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)	
4	स्पीड बोट (रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	< 6 मीटर	< 50 एच पी	- बचाव नली (1) - लाइफ बुऑय (1) - 4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)	

5	स्पीड बोट (रिमोट ओबीएम/इनबोर्ड)	6 – 10 मीटर	> 50 एच पी	- बचाव नली (2) - लाइफ बुऑय (1) - 4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
6	निजी नौका (जैट स्की)	< 3.5 मीटर	90– 310 एच पी इनबोर्ड जेट इंजन	- बचाव नली (1) - 4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1)
7.	पैरासेलिंग नाव (चरखी प्रक्षेपण) (इनबोर्ड इंजन)	≤ 10 मीटर	भीतर 150-350 एचपी	-बचाव नली (2) - लाइफ बुऑय (2) - 4किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (2)
8.	पैरासेलिंग नाव (समुद्र तट पर लॉन्च) (दूर ओबीएम/ इनबोर्ड)	≤ 10 मीटर	ओबीएम/इनबोर्ड 150-350 एचपी	-बचाव नली (2) - लाइफ बुऑय (2) -4किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (2)
9.	स्कूबा डाइविंग बोट (रिमोट ओबीएम/ इनबोर्ड)	≤ 10 मीटर	ओबीएम/ इन बोर्ड 90 – 150 एचपी	-बचाव नली (2) - लाइफ बुऑय (2) -4किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (2)
10.	रेस्क्यू बोट (टिलर/रिमोट, ओबीएम/इनबोर्ड)	3.5-6 मीटर	ओबीएम/ इन बोर्ड 30 – 40 एचपी	- बचाव नली (1) 10. - लाइफ बुऑय (1) - 4 किग्रा डीसीपी अग्निशामक यंत्र (1) -हेड इमोब्लाइजर और बेल्ट सहित स्पाइन बोर्ड (1) -पॉकेट मास्क सहित 9 किग्रा(1)ऑक्सीजन सिलेंडर

(5) इन नियमों के नियम 4 में निहित किसी बात के होते हुए भी, 10 मीटर से अधिक लंबाई न रखने वाले पैरासेलिंग (विंच-लॉन्च) जलयानों पर लागू आवश्यकताएँ, इन नियमों के प्रारंभ की तिथि पर संचालित 10.5 मीटर तक लंबाई वाले विद्यमान पैरासेलिंग (विंच-लॉन्च) जलयानों पर केवल पैरासेलिंग संचालन के उद्देश्य से लागू होंगी।

(6) जल क्रीड़ा तथा संबंधित गतिविधियों हेतु प्रयुक्त सभी मनोरंजन नौकाओं के इंजन एवं ईंधन प्रणाली उपकरण उप-नियम (1) में उल्लिखित मानकों के अनुरूप होंगे।

(7) जल क्रीड़ा एवं समान गतिविधियों हेतु प्रयोजित सभी मनोरंजन नौकाओं में ऐसे इंजन एवं ईंधन प्रणालियाँ स्थापित की जाएँगी, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागू सुरक्षा, पर्यावरणीय एवं निर्माण मानकों का पालन करती हों।

(8) केवल समुद्री-ग्रेड इंजन, जो विशेष रूप से जल क्रीड़ा एवं उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए अभिकल्पित हों, ही स्थापित किए जाएँगे।

- (9) सभी इंजन, उत्सर्जन मानकों एवं ध्वनि स्तर के संदर्भ में विशेष रूप से, अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियम, 2022 के नियम 9 एवं नियम 10 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
- (10) ईंधन प्रणालियाँ इंजन बिल्डर के विनिर्देशों एवं अनुशंसाओं के अनुसार ही सख्ती से स्थापित की जाएँगी।
- (11) बिल्डर यह सुनिश्चित करेंगे कि—
- (क) सुरक्षित एवं रिसाव-रोधी फिटिंग्स का उपयोग किया जाए;
- (ख) ईंधन कक्षों में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था हो; तथा
- (ग) अग्निरोधी सामग्री एवं अवयवों का उपयोग किया जाए।
- (12) स्टीयरिंग, श्रॉटल तथा आपातकालीन नियंत्रण इस प्रकार स्थापित किए जाएँगे कि वे सहज रूप से उपयोग योग्य, स्पष्ट रूप से चिह्नित तथा न्यूनतम शारीरिक प्रयास से संचालित किए जा सकें।
- (13) नियंत्रण प्रणालियाँ इस प्रकार अभिकल्पित होंगी कि वे संचालक की थकान को कम करें तथा विशेष रूप से उच्च गति या गतिशील परिचालन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएँ।
- (14) ईंधन प्रणाली स्थापना मानकों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए बिल्डर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- (15) सभी विद्युत संस्थापन एवं उपकरण, जिनमें वायरिंग, बैटरी प्रणाली, स्विच एवं संबंधित उपकरण सम्मिलित हैं, उप-नियम (1) में उल्लिखित मानकों तथा निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे, अर्थात्—
- (क) सभी विद्युत वायरिंग समुद्री-ग्रेड टिनयुक्त तांबे के संवाहकों अथवा समकक्ष मानक की वायरिंग से बनी होगी, जो विधिवत इन्सुलेटेड, समुद्री उपयोग हेतु उपयुक्त तथा सुरक्षित रूप से स्थिर एवं इस प्रकार मार्गित होगी कि भौतिक क्षति से बचाव हो तथा नमी एवं संक्षारणकारी तत्वों के संपर्क से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो;
- (ख) बैटरी प्रणालियाँ पर्याप्त वेंटिलेशनयुक्त एवं सुरक्षित आवरणों में स्थापित की जाएँगी तथा उनमें उचित रूप से इन्सुलेटेड टर्मिनल एवं उपयुक्त फ्यूजिंग तथा अति-धारा सुरक्षा उपकरण लगाए जाएँगे;
- (ग) संस्थापन इस प्रकार अभिकल्पित होगा कि ईंधन रिसाव, शॉर्ट-सर्किटिंग की रोकथाम हो तथा कंपन एवं संक्षारण के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित हो;
- (घ) सभी विद्युत उपकरण, जिनमें स्विच, कनेक्टर एवं फिटिंग्स सम्मिलित हैं, जलरोधी अथवा जल-प्रतिरोधी प्रकार के होंगे तथा समुद्री वातावरण में उपयोग हेतु उपयुक्त होंगे;
- (ङ) ऐसे सभी उपकरण इस प्रकार स्थापित एवं अनुरक्षित किए जाएँगे कि परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा विद्युत जोखिम की संभावना न्यूनतम रहे।
- (16) सभी मनोरंजन नौकाएँ एवं जल क्रीड़ा जलयान सुरक्षित संचालन, परिस्थितिजन्य जागरूकता तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नौवहन एवं संचार प्रणालियों से सुसज्जित होंगे।
- (17) ऐसे जलयानों पर निम्नलिखित न्यूनतम उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे, अर्थात्—
- (क) वास्तविक समय एवं सटीक स्थिति निर्धारण तथा मार्ग नौवहन हेतु, विशेष रूप से प्रतिबंधित अथवा व्यस्त जलमार्गों में, एक कार्यशील जीपीएस इकाई स्थापित की जाएगी;
- (ख) प्रत्येक जलयान पर कम-से-कम एक कार्यशील स्मार्टफोन अथवा जलरोधी मोबाइल संचार उपकरण उपलब्ध होगा, जो—
- (i) अन्य जलयानों से संपर्क स्थापित करने,
- (ii) तट-आधारित आपातकालीन सेवाओं से संचार करने; तथा
- (iii) जहाँ उपलब्ध हो, मौसम एवं नौवहन संबंधी चेतावनियाँ प्राप्त करने में सक्षम हो;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विफलता की स्थिति में बैकअप नौवहन सहायता के रूप में एक समुद्री-ग्रेड कम्पास स्थापित किया जाएगा।
- (18) जल क्रीड़ा गतिविधियों में संलग्न सभी मनोरंजन नौकाएँ एवं जल क्रीड़ा जलयान यात्रियों एवं चालक दल दोनों की सुरक्षा, सुविधा एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु एर्गोनोमिक रूप से अभिकल्पित होंगे तथा ऐसा डिजाइन उप-नियम (1) में उल्लिखित मानकों के अनुरूप होगा।
- (19) डिजाइन विशेषताओं में निम्नलिखित न्यूनतम एर्गोनोमिक आवश्यकताएँ सम्मिलित होंगी, अर्थात्—
- (क) सभी यात्री एवं संचालक सीटें सुरक्षित, आरामदायक तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुरक्षा बंधनों से युक्त होंगी;

(ख) सीटें इस प्रकार अभिकल्पित होंगी कि तीव्र त्वरण, संचालनात्मक मोड़ों अथवा लहरों के प्रभाव के दौरान चोट के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु पर्याप्त सहारा प्रदान कर सकें।

22. पैरासेलिंग नौका, स्कूबा डाइविंग नौका एवं रेस्क्यू नौका हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएँ—

(1) सभी पैरासेलिंग नौकाएँ, स्कूबा डाइविंग नौकाएँ एवं रेस्क्यू नौकाएँ निम्नलिखित द्वारा विनिर्दिष्ट लागू मानकों का अनुपालन करेंगी—

- (i) भारतीय मानक ब्यूरो, अथवा
- (ii) अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अथवा
- (iii) किसी वर्गीकरण संस्था

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पैरासेलिंग नौका, स्कूबा डाइविंग नौका एवं रेस्क्यू नौका निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी, अर्थात्—

(क) पैरासेलिंग नौका की विंच, लागू भारतीय मानकों अथवा वर्गीकरण संस्था की आवश्यकताओं अथवा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अभिकल्पित होगी तथा निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगी, अर्थात्—

- (i) रस्सी लाइनर सहित विंच ड्रम स्टेनलेस स्टील 316 अथवा एनोडाइज़्ड एल्युमिनियम से निर्मित होगा;
- (ii) हाइड्रोलिक मोटर का कार्यकारी दाब न्यूनतम 190 बार तक होगा;
- (iii) पैरासेल रस्सी हेतु 1.3 से 1.5 टन की परीक्षणित भार क्षमता वाला स्टेनलेस स्टील 316 मस्तूल उपयोग किया जाएगा;
- (iv) पैरासेल टो-लाइन पॉलीएमाइड अथवा नायलॉन ब्रेडेड प्रकार की होगी, जिसकी न्यूनतम अनुमोदित तन्य शक्ति 4 से 5 टन के बीच होगी;

(v) पैरासेल टो-लाइन की अधिकतम लंबाई टो-लाइन, विंच तथा पैरासेल उपकरण बिल्डरों द्वारा अनुशंसित अधिकतम लंबाई से अधिक नहीं होगी तथा इन तीनों में से जो न्यूनतम अनुशंसित लंबाई होगी, वही अधिकतम सीमा मानी जाएगी।

(3) स्कूबा डाइविंग नौका उप-नियम (1) में उल्लिखित लागू मानकों को ध्यान में रखते हुए अभिकल्पित होगी तथा निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी, अर्थात्—

(क) बोर्ड पर ले जाए जाने वाले प्रत्येक गोताखोर हेतु तथा कुल गोताखोरों की संख्या के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षित संख्या, जो न्यूनतम दो अतिरिक्त बीसीडी से कम न हो, के लिए (बीसीडी) के सुरक्षित एवं संरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;

- (i) बोर्ड पर ले जाए जाने वाले प्रत्येक गोताखोर के लिए; तथा
- (ii) कुल गोताखोरों की संख्या के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षित बीसीडी, जो न्यूनतम दो अतिरिक्त बीसीडी से कम न हो;
- (iii) प्रत्येक बीसीडी—

(क) प्रस्तावित डाइविंग संचालन हेतु उपयुक्त आकार एवं प्रकार का होगा;

(ख) उपयोग योग्य एवं कार्यशील स्थिति में अनुरक्षित रखा जाएगा; तथा

(ग) सरलता से सुलभ एवं इस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा कि उसकी अनावश्यक गति अथवा क्षति न हो;

(iv) गोताखोरों के जल में प्रवेश एवं बाहर निकलने हेतु स्विम प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होगी;

(v) जल से गोताखोर के पुनः बोर्ड पर आने हेतु उपयुक्त झुकाव वाली स्टेनलेस स्टील सीढ़ी की व्यवस्था होगी।

(4) रेस्क्यू नौका, उप-नियम (1) में उल्लिखित लागू मानकों को ध्यान में रखते हुए अभिकल्पित होगी तथा निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी, अर्थात्—

(क) अधिकतम पाँच व्यक्तियों की बैठने की क्षमता अथवा न्यूनतम 6 मीटर लंबाई;

(ख) डेक पर स्पाइन बोर्ड रखने हेतु पर्याप्त स्थान;

(ग) पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर एवं प्राथमिक उपचार किट के भंडारण की व्यवस्था।

23. अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 के प्रावधान, लकड़ी, फाइबर प्रबलित प्लास्टिक अथवा समान सामग्री से निर्मित मनोरंजन नौकाओं पर उन अवयवों के संबंध में लागू होंगे जो इन नियमों के अंतर्गत

आच्छादित नहीं हैं, तथा ऐसी विधियों, सामग्रियों अथवा व्यवस्थाओं में आवश्यक समझे जाने वाले अनुकूलनों के अधीन होंगे, जैसा कि नामित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक माना जाए:

परंतु यह कि ऐसी विधियों, सामग्रियों अथवा व्यवस्थाओं में किया गया कोई भी अनुकूलन संरचनात्मक अखंडता, जलरोधक अखंडता, स्थिरता, फ्रीबोर्ड, अग्नि सुरक्षा, मशीनरी सुरक्षा एवं आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित आवश्यकताओं को कमतर नहीं करेगा।

24. **अनुपालन की सीमा**— (1) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संचालित प्रत्येक विद्यमान मनोरंजन नौका पर ऐसे जलयानों हेतु लागू आवश्यकताओं का अनुपालन जारी रहेगा:

परंतु यह कि जहाँ कोई मनोरंजन नौका रूपांतरण, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन से गुजरती है, वहाँ ऐसे रूपांतरण, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

(2) किसी भी मनोरंजन नौका को तब तक सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह जलयान इन नियमों में विनिर्दिष्ट लागू डिजाइन, निर्माण, स्वचालन, नौवहन, सुरक्षा एवं नियंत्रण मानकों का अनुपालन न करता हो।

अध्याय 6

नहर कूज़ नौकाओं के डिजाइन एवं निर्माण हेतु मापदंड और मानक

25. **अध्याय 6 का अनुप्रयोग**— इस अध्याय के प्रावधान उन नहर कूज़ नौकाओं पर लागू होंगे जो—

(क) कुल लंबाई में 30 मीटर से अधिक न हों;

(ख) मनोरंजनात्मक उपयोग हेतु अभिप्रेत हों;

(ग) इनबोर्ड मोटर, आउटबोर्ड मोटर अथवा बैटरी चालित प्रणोदन प्रणाली से संचालित हों; तथा

(घ) 50 से अधिक यात्रियों को न ले जाती हों;

26. **सामान्य आवश्यकताएँ**— नहर कूज़ नौकाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी, अर्थात्—

(क) ईंधन भंडारण एक प्रतिबंधित एवं जोखिम-मुक्त क्षेत्र में किया जाएगा;

(ख) स्नानगृह (बाथरूम) के फर्श जल-अभेद्य होंगे।

27. **डिजाइन एवं निर्माण के मानक**—

(1) नियम 25 में उल्लिखित नहर कूज़ नौकाएँ निम्नलिखित द्वारा विनिर्दिष्ट लागू मानकों का अनुपालन करेंगी—

(i) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; अथवा

(iii) किसी वर्गीकरण संस्था

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नहर कूज़ नौकाओं के डिजाइन एवं निर्माण निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे, अर्थात्—

(क) सभी अवयव उच्च गुणवत्ता वाली समुद्री-ग्रेड सामग्री से निर्मित होंगे, जो संक्षारण, पराबैंगनी विकिरण तथा यांत्रिक घिसावट के प्रति प्रतिरोधी होंगी तथा ऐसी सामग्री का चयन जलयान के डिजाइन, प्रस्तावित सेवा एवं परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं—

(i) प्राथमिक संरचनात्मक सामग्री, अर्थात्—

(क) इस्पात;

(ख) एल्युमिनियम एवं उसके मिश्रधातु;

(ग) फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक, जिसमें ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक सम्मिलित है;

(घ) लकड़ी एवं समुद्री-ग्रेड प्लाइवुड;

(ङ) मिश्रित सामग्री, जिसमें कार्बन फाइबर प्रबलित पॉलिमर सम्मिलित हैं;

(ii) द्वितीयक अथवा गैर-संरचनात्मक सामग्री, अर्थात्—

(क) पॉलीविनाइल क्लोराइड;

(ख) पॉलीएथिलीन (जिसमें लो-डेंसिटी पॉलीएथिलीन एवं हाई-डेंसिटी पॉलीएथिलीन सम्मिलित हैं);

(ग) पॉलीयूरेथेन;

(घ) हाइपलॉन अथवा अन्य सिंथेटिक रबर-आधारित वस्त्र;

परंतु यह कि उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट सामग्री का उपयोग प्राथमिक भार-वहन संरचनात्मक अवयवों के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नामित प्राधिकारी अथवा वर्गीकरण संस्था द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किया गया हो।

(ख) पतवार (Hull) का डिजाइन स्थिरता, उछाल क्षमता एवं सुचारु संचालन प्रदान करेगा;

(ग) ट्रांसम एवं हल-डेक जोड़ जैसे तनाव बिंदुओं को उच्च गति संचालन के दौरान उत्पन्न भार सहन करने हेतु सुदृढ़ किया जाएगा;

(घ) सभी नहर कूज़ नौकाएँ अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन एवं निर्माण) नियम, 2024 के अध्याय IV का अनुपालन करेंगी;

परंतु यह कि जहाँ जलरोधी बल्कहेड्स का प्रावधान नौकाओं में व्यावहारिक न हो अथवा उपलब्ध न कराया गया हो, वहाँ नामित प्राधिकारी उक्त अध्याय की किसी अथवा सभी आवश्यकताओं से छूट प्रदान कर सकता है तथा समतुल्य उछाल क्षमता, क्षति से बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाएँगी।

(ङ) सभी नहर कूज़ नौकाएँ अपनी श्रेणी के अनुरूप लागू नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा उपकरणों एवं सामग्रियों से सुसज्जित होंगी।

(3) ऐसे सभी जलयानों पर निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे, अर्थात्—

(क) अग्निशमन उपकरण अंतर्देशीय जलयान (अग्निशामक उपकरण) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराए जाएँगे तथा उन हाउसबोट्स के मामले में, जिनमें पारंपरिक वातावरण निर्मित करने हेतु बांस (पनम्बु) अथवा फूस जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया हो, अतिरिक्त जल हाइड्रेंट एवं अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए जाएँगे;

(ख) हाइड्रेंट एवं होज़ इस प्रकार स्थित होंगे कि जल की धार पतवार अथवा अधिरचना के किसी भी भाग तक पहुँच सके, जो ऐसी ज्वलनशील सामग्री से निर्मित हो;

(ग) जलयान मालिक अग्निरोधी रसोई सामग्री एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा;

(घ) जीवनरक्षक उपकरण अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होंगे;

(ङ) पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक उपचार किट एवं उपयुक्त संकेत संकेत उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे;

(च) आपातकालीन स्थिति में चालक दल एवं यात्रियों को सतर्क करने तथा आवश्यक होने पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं निकासी सुनिश्चित करने हेतु आपातकालीन अलार्म बटन अथवा प्रणाली स्थापित की जाएगी;

(छ) नौवहन प्रकाश अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौवहन, संचार एवं संकेत) नियम, 2022 के अनुसार स्थापित एवं अनुरक्षित किए जाएँगे;

(ज) सभी नहर कूज़ नौकाएँ ऐसे इंजन एवं ईंधन प्रणालियों से युक्त होंगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट लागू सुरक्षा, पर्यावरणीय एवं निर्माण मानकों का पालन करती हों।

(4) (क) केवल समुद्री-ग्रेड इंजन, जो विशेष रूप से उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों हेतु अभिकल्पित हों, स्थापित किए जाएँगे तथा सभी इंजन उत्सर्जन मानकों एवं ध्वनि स्तर के संदर्भ में विशेष रूप से अंतर्देशीय जलयान प्रदुषण की रोकथाम तथा नियंत्रण नियम, 2022 के नियम 9 एवं नियम 10 का अनुपालन करेंगे।

(ख) ईंधन प्रणालियाँ इंजन बिल्डर के विनिर्देशों एवं अनुशंसाओं तथा अंतर्देशीय जलयान डिजाइन एवं निर्माण नियम, 2024 के नियम 56 से 58 के अनुसार सख्ती से स्थापित की जाएँगी।

(ग) ईंधन प्रणालियाँ निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी, अर्थात्—

(i) सुरक्षित एवं रिसाव-रोधी फिटिंग्स का उपयोग;

(ii) ईंधन कक्षों का पर्याप्त वेंटिलेशन; तथा

(iii) अग्निरोधी सामग्री एवं अवयवों का उपयोग

(5) स्टीयरिंग, श्रॉटल एवं आपातकालीन नियंत्रण सहज रूप से स्थित, स्पष्ट रूप से चिह्नित एवं न्यूनतम शारीरिक प्रयास से संचालित करने योग्य होंगे तथा नियंत्रण प्रणालियाँ संचालक की थकान कम करने एवं विशेष रूप से उच्च गति अथवा गतिशील परिचालन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने हेतु अभिकल्पित होंगी।

(6) उपर्युक्त स्थापना मानकों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए बिल्डर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(7) सभी विद्युत संस्थापन एवं उपकरण, जिनमें वायरिंग, बैटरी प्रणालियाँ, स्विच एवं संबंधित उपकरण सम्मिलित हैं, निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे, अर्थात्—

(क) सभी विद्युत वायरिंग समुद्री-ग्रेड टिनयुक्त तांबे के संवाहकों अथवा समकक्ष मानक की वायरिंग से बनी होगी, जो विधिवत इन्सुलेटेड एवं समुद्री उपयोग हेतु उपयुक्त होगी तथा सुरक्षित रूप से स्थिर एवं इस प्रकार मार्गित होगी कि भौतिक क्षति से बचाव हो तथा नमी एवं संक्षारणकारी तत्वों से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो;

(ख) बैटरी प्रणालियाँ—

(i) पर्याप्त हवा संचार (वेंटिलेशन) एवं सुरक्षित आवरणों में स्थापित की जाएँगी;

(ii) विधिवत उष्मारोधी (इन्सुलेटेड)टर्मिनलों से युक्त होंगी;

(iii) उपयुक्त फ्यूजिंग एवं अति-धारा सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित होंगी; तथा

(iv) रिसाव, शॉर्ट-सर्किटिंग की रोकथाम तथा कंपन एवं संक्षारण के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करने हेतु अभिकल्पित होंगी;

(ग) सभी विद्युत उपकरण, जिनमें स्विच, कनेक्टर एवं फिटिंग्स सम्मिलित हैं—

(i) जलरोधी अथवा जल-प्रतिरोधी प्रकार के होंगे तथा समुद्री वातावरण हेतु उपयुक्त होंगे; तथा

(ii) इस प्रकार स्थापित एवं अनुरक्षित किए जाएँगे कि परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा विद्युत जोखिम न्यूनतम रहे।

(8) सभी नहर कूज़ नौकाएँ सुरक्षित संचालन, परिस्थितिजन्य जागरूकता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नौवहन एवं संचार प्रणालियों से सुसज्जित होंगी।

(9) ऐसे जलयानों पर निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे, अर्थात्—

(क) वास्तविक समय एवं सटीक स्थिति निर्धारण तथा मार्ग नौवहन हेतु, विशेष रूप से प्रतिबंधित अथवा व्यस्त जलमार्गों में, एक कार्यशील ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) इकाई स्थापित की जाएगी;

(ख) प्रत्येक जलयान पर कम-से-कम एक कार्यशील स्मार्टफोन अथवा जलरोधी मोबाइल संचार उपकरण उपलब्ध होगा, जो—

(i) अन्य जलयानों से संपर्क स्थापित करने;

(ii) तट-आधारित आपातकालीन सेवाओं से संचार करने; तथा

(iii) जहाँ उपलब्ध हो, मौसम एवं नौवहन संबंधी चेतावनियाँ प्राप्त करने में सक्षम हो;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विफलता की स्थिति में बैकअप नौवहन सहायता के रूप में एक समुद्री-ग्रेड कम्पास स्थापित किया जाएगा।

(10) (क) सभी नहर कूज़ नौकाएँ यात्रियों एवं चालक दल दोनों की सुरक्षा, सुविधा एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु सुविधापूर्ण (एर्गोनॉमिक) रूप से डिजाइन होंगी।

(ख) नहर कूज़ नौकाएँ उप-नियम (1) में उल्लिखित मानकों तथा निम्नलिखित सुविधापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी, अर्थात्—

(i) सभी यात्री एवं संचालक सीटें सुरक्षित, आरामदायक एवं आवश्यकतानुसार उपयुक्त सुरक्षा बंधनों से युक्त होंगी;

(ii) सीटें इस प्रकार अभिकल्पित होंगी कि तीव्र त्वरण, संचालनात्मक मोड़ों अथवा लहरों के प्रभाव के दौरान चोट के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु पर्याप्त सहारा प्रदान कर सकें।

(11) सभी नहर कूज़ नौकाएँ अंतर्देशीय जलमार्गों पर पर्यावरण-अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं का पालन करेंगी, अर्थात्—

(क) नहर कूज़ नौकाएँ पारिस्थितिक प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु सतत सामग्री एवं पर्यावरण-अनुकूल निर्माण पद्धतियों का उपयोग करेंगी;

(ख) जलयानों में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध होंगी—

(i) जैव-अपघटनीय अपशिष्ट (बायोडिग्रेडबल वेस्ट);

(ii) अजैव-अपघटनीय अपशिष्ट (नॉन बायोडिग्रेडबल वेस्ट);

(iii) पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट (रिसाइकलेबल वेस्ट);

(ग) प्रत्येक नहर कूज़ नौका में बोर्ड पर उपस्थित व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप क्षमता वाला उपयुक्त सीवेज उपचार संयंत्र, बायो-डाइजेस्टर अथवा होलडिंग टैंक उपलब्ध होगा तथा अंतर्देशीय जलमार्गों में प्रत्यक्ष सीवेज निष्कासन निषिद्ध होगा;

(घ) सभी जलयान सीवेज एवं अपशिष्ट जल हेतु होल्लिंग टैंक सहित एकीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित होंगे;
(ङ) अपशिष्ट जल का निस्तारण अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम 2022 के अनुसार किया जाएगा;

(च) कागज अथवा कपड़े के थैलों जैसे जैव-अपघटनीय विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा प्लास्टिक थैलों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।

(12) अपशिष्ट जल होल्लिंग टैंकों की स्थापना के उपरांत यह सुनिश्चित करने हेतु स्थिरता परीक्षण किया जाएगा कि जलयान की सुरक्षा प्रभावित न हो।

28. बैटरी प्रणाली एवं बैटरी प्रबंधन प्रणाली। —

(1) इन नियमों के अधीन आने वाली सभी बैटरी चालित एवं हाइब्रिड नहर कूज़ नौकाएँ निम्नलिखित द्वारा विनिर्दिष्ट लागू मानकों का अनुपालन करेंगी—

- (i) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा
- (ii) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; या
- (iii) कोई वर्गीकरण संस्था

(2) सभी बैटरी चालित एवं हाइब्रिड नहर कूज़ नौकाएँ निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगी, अर्थात्—

(क) बैटरियाँ एवं बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)—

(i) राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला अथवा किसी वर्गीकरण संस्था द्वारा परीक्षणित एवं प्रमाणित होंगी;

(ii) IS 17017 (भाग 21) के अनुसार सामान्य आवश्यकताओं एवं परीक्षण विधियों का अनुपालन करेंगी; तथा

(iii) IS 9000 श्रृंखला अथवा समकक्ष मानक के अनुसार पर्यावरणीय परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगी।

(ख) बैटरी कक्ष स्पष्ट रूप से चिह्नित, पर्याप्त रूप से वेंटिलेटेड तथा केवल अधिकृत कर्मियों हेतु सुलभ होंगे;

(ग) बैटरी कक्षों हेतु उपयुक्त अग्नि पहचान एवं दमन प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी तथा उच्च क्षमता बैटरी स्थापना के मामले में ऐसी प्रणाली अधिमानतः क्लीन एजेंट प्रकार की होगी;

(घ) आवधिक अनुरक्षण कार्यक्रम बोर्ड पर अनुरक्षित रखा जाएगा तथा योग्य अथवा प्रमाणित कर्मियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(3) बैटरी प्रबंधन प्रणाली—

(क) न्यूनतम एक सौ अस्सी दिनों की अवधि तक परिचालन मापदंडों एवं दोष संबंधी आँकड़ों का अभिलेखन एवं भंडारण करेगी; तथा

(ख) सर्वेक्षण, लेखा-परीक्षण अथवा किसी दुर्घटना के उपरांत जाँच के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) अंतर्देशीय जलयान डिजाइन एवं निर्माण नियम, 2024 के प्रावधान उन अवयवों के संबंध में नहर कूज़ नौकाओं पर लागू होंगे जो इन नियमों के अंतर्गत आच्छादित नहीं हैं, तथा ऐसी विधियों, सामग्रियों अथवा व्यवस्थाओं में आवश्यक समझे जाने वाले अनुकूलनों के अधीन होंगे, जैसा कि नामित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक माना जाए।

परंतु यह कि ऐसी विधियों, सामग्रियों अथवा व्यवस्थाओं में किया गया कोई भी अनुकूलन संरचनात्मक अखंडता, जलरोधक अखंडता, स्थिरता, फ्रीबोर्ड, अग्नि सुरक्षा, मशीनरी सुरक्षा एवं आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित आवश्यकताओं को कमतर नहीं करेगा।

उप-नियम (11) में निहित किसी बात के होते हुए भी, लकड़ी, फाइबर-प्रबलित प्लास्टिक, ग्लास-प्रबलित प्लास्टिक अथवा समान मिश्रित सामग्री से निर्मित नहर कूज़ नौकाओं के संबंध में नामित प्राधिकारी टक्कर बल्कहेड्स की आवश्यकता से छूट प्रदान कर सकता है।

परंतु यह कि नामित प्राधिकारी द्वारा विधिवत मूल्यांकित एवं अनुमोदित वैकल्पिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँगे, जिससे अंतर्देशीय जलयान डिजाइन एवं निर्माण नियम, 2024 के अधीन अपेक्षित सुरक्षा स्तर से कम सुरक्षा न हो।

29. अनुपालन की सीमा – (1) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संचालित प्रत्येक विद्यमान नहर कूज़ नौका ऐसे जलयानों पर पूर्व में लागू आवश्यकताओं का अनुपालन जारी रखेगी:

परंतु यह कि जब भी ऐसा जलयान रूपांतरण, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन से गुजरेगा, तब ऐसे रूपांतरण, संशोधन अथवा प्रतिस्थापन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

(2) किसी भी नहर कूज़ नौका को तब तक सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह इन नियमों में विनिर्दिष्ट लागू डिजाइन, निर्माण, स्वचालन, नौवहन, सुरक्षा एवं नियंत्रण मानकों का अनुपालन न करती हो।

(3) केवल दिन में यात्राएँ करने वाली नहर कूज़ नौकाओं को चालक दल आवास की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है, जैसा कि नामित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

अध्याय 7

मनोरंजन नौकाओं एवं नहर कूज़ नौकाओं हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी आवश्यकताएँ

30. अध्याय 7 का अनुप्रयोग—

यह अध्याय सभी मनोरंजन नौकाओं एवं नहर कूज़ नौकाओं पर लागू होगा।

31. चालक दल (कू) हेतु सामान्य आवश्यकताएँ—

मनोरंजन नौकाओं एवं नहर कूज़ नौकाओं का प्रत्येक कू सदस्य—

- (क) भारत का नागरिक होगा;
- (ख) अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होगा;
- (ग) स्वस्थ एवं सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होगा;
- (घ) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी वैध चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र धारण करेगा;
- (ङ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा ऐसे जलयानों की श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट मूलभूत सुरक्षा, संरक्षा एवं जीवनरक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका होगा; तथा
- (च) अपनी भूमिका एवं जलयान के प्रकार के अनुरूप नामित प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस धारण करेगा।

32. लाइसेंस का प्रारूप एवं समतुल्यता— (1) लाइसेंस, नामित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-B में कू को जारी की जाएगी तथा जारी होने पर वह निर्दिष्ट श्रेणी की मनोरंजन नौका अथवा नहर कूज़ नौका के संचालन हेतु दक्षता प्रमाण-पत्र मानी जाएगी।

(2) मनोरंजन नौकाओं के कू हेतु लाइसेंस, किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-क में प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के उपरांत जारी की जाएगी।

स्पष्टीकरण— इस नियम एवं नियम 32 के प्रयोजनों हेतु “प्रमाणन प्राधिकारी” से अभिप्राय है—

- (क) राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस); अथवा
 - (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण(आईडब्ल्यूआई) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य केन्द्रीय सरकार वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान; अथवा
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई निजी अथवा राज्य सरकार वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान, जो अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में संचालित मनोरंजन नौकाओं के संचालकों को आईडब्ल्यूआई द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) अनुमोदन की प्रक्रिया अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग) नियम, 2026 की अनुसूची-I के अनुसार होगी।
- (4) प्रत्येक लाइसेंस पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा उसका नवीनीकरण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पुनश्चर्या अथवा अन्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के अधीन होगा।

33. मैनिंग का रिकॉर्ड — (1) इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जलयान हेतु न्यूनतम मैनिंग का अभिलेखन सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र में किया जाएगा।

(2) नामित प्राधिकारी रात्रिकालीन संचालन अथवा विशेष नौवहन या पर्यावरणीय परिस्थितियों में संचालन हेतु अतिरिक्त कू विनिर्दिष्ट कर सकता है।

34. मनोरंजन नौकाओं के संचालक एवं कू की योग्यता तथा प्रशिक्षण। — (1) प्रत्येक मनोरंजन नौका संचालक—

- (क) कम-से-कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगा;

- (ख) किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण-पत्र धारण करेगा;
- (ग) नामित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-ख के अनुसार जारी वैध नौका संचालक लाइसेंस धारण करेगा;
- (घ) प्रमाणन प्राधिकारी से मूलभूत सुरक्षा एवं संरक्षा पाठ्यक्रम के सभी अवयवों को समाहित करने वाला जीवनरक्षक तकनीक (एलएसटी) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका होगा तथा उसका वैध प्रमाण-पत्र धारण करेगा;
- (ङ) ऐसे जलयानों की श्रेणी हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट जलयान संचालन, नौवहन एवं आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होगा; तथा
- (च) स्थिर जल में पाँच मिनट के भीतर फ्री-स्टाइल तैराकी द्वारा कम-से-कम एक सौ मीटर तैरने की क्षमता प्रदर्शित करेगा।
- (2) मनोरंजन नौका का प्रत्येक कू सदस्य—

- (क) जलयान संचालन एवं सुरक्षा संबंधी मूलभूत कौशल रखेगा;
- (ख) सुरक्षा उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का अनुभव एवं ज्ञान रखेगा;
- (ग) जलयान पर स्थित मशीनरी का अनुभव एवं मूलभूत ज्ञान रखेगा;
- (घ) प्रमाणन प्राधिकारी से मूलभूत सुरक्षा एवं संरक्षा पाठ्यक्रम के सभी अवयवों को समाहित करने वाला जीवनरक्षक तकनीक (एलएसटी) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुका होगा तथा उसका वैध प्रमाण-पत्र धारण करेगा;
- (ङ) मनोरंजन नौका के अनुभवी संचालक के पर्यवेक्षण में कार्यस्थल प्रशिक्षण (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) प्राप्त कर चुका होगा; तथा
- (च) स्थिर जल में पाँच मिनट के भीतर फ्री-स्टाइल तैराकी द्वारा कम-से-कम एक सौ मीटर तैरने की क्षमता प्रदर्शित करेगा।

35. नहर कूज़ नौका के मास्टर, इंजन चालक एवं कू की योग्यता तथा प्रशिक्षण।— (1) नहर कूज़ नौका का प्रत्येक मास्टर अथवा इंजन चालक—

- (क) न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगा;
- (ख) अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग) नियम, 2026 के अनुसार मूलभूत सुरक्षा एवं संरक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका होगा;
- (ग) उपकरणों, मशीनरी, प्रणालियों एवं अनुरक्षण का अनुभव एवं ज्ञान रखेगा;
- (घ) नहर कूज़ नौकाओं अथवा हाउसबोट्स के संचालन में दक्ष होगा;
- (ङ) मास्टर के लिए डेकहैंड अथवा जीपी रेटिंग के रूप में तीन वर्ष का नौवहन एवं जलयान संचालन अनुभव अथवा इंजन चालक के लिए कू अथवा जीपी रेटिंग (इंजन पक्ष) के रूप में संचालन एवं अनुरक्षण का तीन वर्ष का अनुभव रखेगा;
- (च) ऐसे जलयानों की श्रेणी हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट जलयान संचालन एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होगा तथा नामित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-B में जारी वैध लाइसेंस धारण करेगा;
- (छ) स्थिर जल में पाँच मिनट के भीतर फ्री-स्टाइल तैराकी द्वारा कम-से-कम एक सौ मीटर तैरने की क्षमता प्रदर्शित करेगा;
- (ज) सुरक्षा उपकरणों एवं आपातकालीन प्रक्रियाओं का ज्ञान रखेगा;
- (झ) मास्टर के लिए नौवहन, संचार एवं संकेत उपकरणों का ज्ञान रखेगा; तथा
- (ञ) इंजन चालक के लिए मशीनरी एवं प्रणालियों का ज्ञान रखेगा।

(2) नहर कूज़ नौका का प्रत्येक कू सदस्य—

- (क) नहर कूज़ नौका की प्रणालियों एवं अनुरक्षण का ज्ञान रखेगा;
- (ख) यदि आतिथ्य सेवाओं हेतु नियोजित है, तो संबंधित कार्यों का अनुभव रखेगा;
- (ग) स्थिर जल में पाँच मिनट के भीतर फ्री-स्टाइल तैराकी द्वारा कम-से-कम एक सौ मीटर तैरने की क्षमता प्रदर्शित करेगा;
- (घ) सुरक्षा उपकरणों एवं आपातकालीन प्रक्रियाओं का ज्ञान रखेगा; तथा
- (ङ) अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग) नियम, 2026 के अनुसार मूलभूत सुरक्षा एवं संरक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका होगा।

36. मनोरंजन नौकाओं एवं नहर कूज़ नौकाओं के कू के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन—

- (1) मनोरंजन नौकाओं हेतु प्रशिक्षण संचालित करने वाले संस्थान को केन्द्रीय सरकार संस्थान के मामले में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- (2) किसी राज्य में निजी अथवा राज्य सरकार के संस्थान को उस राज्य के नामित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (3) अनुमोदन की प्रक्रिया अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग) नियम, 2026 की अनुसूची-1 के अनुसार होगी।
- (4) नहर कूज़ नौकाओं हेतु प्रशिक्षण संचालित करने वाले संस्थान को केन्द्रीय सरकार संस्थान के मामले में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (5) किसी राज्य में निजी अथवा राज्य सरकार के संस्थान को उस राज्य के नामित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (6) अनुमोदन की प्रक्रिया अंतर्देशीय जलयान (मैनिंग) नियम, 2026 की अनुसूची-1 के अनुसार होगी।

37. मनोरंजन नौकाओं के संचालक एवं नहर कूज़ नौकाओं के मास्टर के दायित्व –

मनोरंजन नौकाओं के संचालक एवं नहर कूज़ नौकाओं के मास्टर के निम्नलिखित दायित्व होंगे—

- (क) जलयान के सुरक्षित नौवहन एवं संचालन को सुनिश्चित करना;
- (ख) प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा जाँच एवं सुरक्षा जानकारी;
- (ग) सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन बनाए रखना;
- (घ) सभी यात्रियों एवं कू की सुरक्षा की निगरानी करना; तथा
- (ङ) लॉग बुक का अनुरक्षण करना।

38. कू प्रशिक्षण आवश्यकता एवं संरचना – (1) मनोरंजन नौका के प्रकार एवं आकार के आधार पर न्यूनतम कू संख्या, उनकी योग्यता एवं संरचना निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:

क्र.सं.	जलयान का विवरण	जलयान की लंबाई	इंजन शक्ति (एचपी)	ऑपरेटर (सं. तथा योग्यता)	कर्मि दल (सं. तथा योग्यता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टिलर/ दूर संचालित ओबीएम के साथ भ्रमण नौका	< 3.5 मीटर	ओबीएम- <30 एचपी	01 – पीबीएच-टी/आर और एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित	-
2.	टिलर/रिमोट एक्सकर्सन बोट ओबीएम/इनबोर्ड इंजन	< 6 मीटर	i. टिलर संचालित ओबीएम- < 40 एचपी, ii. रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन - < 75 एचपी	01 – पीबीएच- टी प्रमाणित 01 – पीबीएच- आर प्रमाणित	01 – एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
3.	रिमोट से चलने वाली भ्रमण नाव ओबीएम/ इनबोर्ड इंजन	6 - 10 मीटर	(i) टिलर संचालित ओबीएम < 40 एचपी	01 – पीबीएच- टी प्रमाणित 01 – पीबीएच- आर प्रमाणित	01 – एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित

			(ii) रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन - <90 एचपी		
4.	स्पीड बोट रिमोट ऑपरेटेड ओबीएम / इनबोर्ड इंजन	< 6 मीटर	रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन - > 50 एचपी	01 - पीबीएच- आर प्रमाणित	01 - एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
5.	स्पीड बोट रिमोट ऑपरेटेड इनबोर्ड इंजन	6 - 10 मीटर	रिमोट संचालित ओबीएम / इनबोर्ड इंजन - > 50 एचपी	01 - पीबीएच- आर प्रमाणित	02 - एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
6.	व्यक्तिगत जलयान (जेट स्की)	<3.5 मीटर	इनबोर्ड जेट इंजन 90 - 310 एचपी	01 - पीडब्ल्यूसी/जेट-स्की प्रमाणित	
7.	पैरासेलिंग बोट (विच ऑपरेटेड) (इनबोर्ड इंजन)	≤ 10.5 मीटर	इनबोर्ड 150-350 एचपी	01 - पीबीएच-आर और पैरासेलिंग संचालन प्रमाणित	02-एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
8.	पैरासेलिंग बोट (बीच लॉन्च) (रिमोट ओबीएम / इनबोर्ड)	≤ 10 मीटर	ओबीएम/इनबोर्ड 150-350 एचपी	01- पीबीएच-आर और पैरासेलिंग संचालन प्रमाणित	02-एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
9.	एक प्रकार का वृक्ष डाइविंग बोट (रिमोट ओबीएम / इनबोर्ड)	≤10 मीटर	ओबीएम/ इनबोर्ड 90 - 150 एचपी	01 -पीबीएच-आर प्रमाणित	02-एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित
10.	बचाव नाव (टिलर/रिमोट, ओबीएम /इनबोर्ड)	3.5 - 6 मीटर	ओबीएम/ इनबोर्ड 30-40 एचपी	01 - पीबीएच-टी / पीबीएच-आर प्रमाणित	01 - एलएसटी-डब्ल्यूएस प्रमाणित

टिप्पणी : संक्षिप्त रूप / पाठ्यक्रम विवरण :

- (क) टिलर-नियंत्रित पावर बोट संचालन
(ख) रिमोट-नियंत्रित पावर बोट संचालन
(ग) जीवनरक्षक तकनीक - जल क्रीडा संचालक
(घ) पर्सनल वाटरक्राफ्ट / जेट स्की संचालन
(2) प्रत्येक नहर कूज़ नौका में निम्नलिखित कार्मिक होंगे—

- (क) 20 यात्रियों से कम क्षमता वाली नहर कूज़ नौका के संचालन हेतु एक मास्टर, एक इंजन चालक तथा एक कू सदस्य;
 (ख) 20 से 50 यात्रियों की क्षमता वाली नहर कूज़ नौका के संचालन हेतु एक मास्टर, एक इंजन चालक तथा दो कू सदस्य;
 (ग) बैटरी चालित अथवा अर्द्ध-स्वचालित नौकाओं हेतु एक मास्टर एवं दो कू सदस्य;
 (घ) रात्रिकालीन कूज़ हेतु नामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त जनशक्ति।
 (3) स्थिर एवं बंधित नहर कूज़ नौकाओं के लिए, नामित प्राधिकारी यात्रियों, कू एवं उपकरणों की सुरक्षा को प्रभावित किए बिना मैनिंग आवश्यकताओं में कमी कर सकता है।

39. अनुपालन की सीमा – मनोरंजन नौकाओं एवं नहर कूज़ नौकाओं के विद्यमान कू सदस्य, इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर नामित प्राधिकारी से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के अधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के भीतर इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

40. सरंग अथवा इंजन चालक-II हेतु पात्रता – छः वर्ष का अनुभव रखने वाले विद्यमान मनोरंजन नौका संचालक अथवा ऐसे जलयानों पर पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले नहर कूज़ नौका कू सदस्य, जिनमें से कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव संचालक, मास्टर अथवा चालक के रूप में हो, सरंग अथवा इंजन चालक-II पद हेतु पात्र होंगे।

फार्म – क

[नियम 32(2) देखें]

संस्थान का लोगो

संस्थान का पता

मनोरंजन नौकाओं हेतु प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण-पत्र

पाठ्यक्रम कोड

.....

प्रमाण-पत्र संख्या

.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी :

.....

पुत्र/पुत्री :

.....

जन्म तिथि :

तथा INDIVC संख्या : धारक ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूर्ण किया है :

“.....”

(पाठ्यक्रम का नाम)

जो दिनांक से तक

..... में आयोजित किया गया।

यह पाठ्यक्रम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को समाहित करता है। यह पाठ्यक्रम अंतर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान- वर्गीकरण तथा मानक) नियम, 2026 के अंतर्गत मनोरंजन नौकाओं हेतु निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है।

विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

फार्म – ख

[नियम 32(1) एवं 34(1)(ग) देखें]

लाइसेंस (LICENSE)

(नामित प्राधिकारी के आधिकारिक लेटरहेड पर जारी किया जाए)

1. लाइसेंस का विवरण

प्रमाण-पत्र

संख्या.....

जारी

करने

की

तिथि

(दिन-

माह-

वर्ष).....

लाइसेंस का प्रकार कू श्रेणी

लाइसेंस धारक का फोटो

लाइसेंस की वैधता

से (दिन- माह- वर्ष): _____ तक (दिन- माह- वर्ष): _____

2. लाइसेंस धारक का विवरण

पूरा

नाम

:

पिता/माता

का

नाम

:

जन्म तिथि : _____

रक्त समूह : _____

आधार

/

पहचान

संख्या

(वैकल्पिक)

:

पासपोर्ट आकार का फोटो (मुहरयुक्त एवं सत्यापित)

3. संपर्क विवरण

स्थायी

पता

:

मोबाइल नंबर : _____

ई-मेल पता : _____

4. योग्यता एवं प्रमाणन

पूर्ण

किया

गया

प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम

:

प्रमाण-पत्र

संख्या

(पाठ्यक्रम

पूर्णता)

:

पूर्णता की तिथि : _____ (दिन- माह- वर्ष)

प्रशिक्षण

संस्थान

:

5. टिप्पणियाँ (यदि कोई है)

6. लाइसेंस धारक द्वारा घोषणा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर प्रदान की गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं समझता/समझती हूँ कि वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात इस लाइसेंस का उपयोग निषिद्ध है तथा इसके नवीनीकरण की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

धारक का नाम एवं हस्ताक्षर : _____

दिनांक : - _____ (दिन- माह- वर्ष)

7. जारी करने वाला प्राधिकारी

अधिकारी का नाम : _____

पदनाम : _____

जारी करने वाला प्राधिकारी / नामित प्राधिकारी

कार्यालय का पता :

.....

.....

जारी करने का स्थान : _____

मुहर सहित हस्ताक्षर : _____

जारी करने की तिथि : _____ (दिन- माह- वर्ष)

लाइसेंस धारक हेतु निर्देश

1. इस लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात इसका उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
2. लाइसेंस के नवीनीकरण की पूर्ण जिम्मेदारी धारक की होगी।
3. नवीनीकरण के समय मूल लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. नामित प्राधिकारी को लागू नियमों के अनुसार इस लाइसेंस का नवीनीकरण, निलंबन अथवा निरस्तीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

फार्म – ग

[नियम 9(2), 13(2) एवं 17(3) देखें]

जलयान के डिजाइन एवं निर्माण मानकों के संबंध में मालिक द्वारा घोषणा
सेवा

में,

सर्वेक्षक अथवा नामित प्राधिकारी,

[राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र समुद्री बोर्ड अथवा अधिकृत इकाई का नाम दर्ज करें]

[पता दर्ज करें]

दिनांक : (दिन- माह- वर्ष)

विषय : जलयान के डिजाइन एवं निर्माण मानकों के अनुपालन संबंधी घोषणा

मैं, [पूरा नाम], पुत्र/पुत्री [पिता/माता का नाम], आयु [आयु] वर्ष, निवासी [पूरा पता], निम्नलिखित वर्णित जलयान का मालिक होने के नाते, एतद्वारा विधिवत घोषणा एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि—

(क) जलयान का विवरण :

- i. जलयान का नाम : [जलयान का नाम दर्ज करें]
- ii. जलयान का प्रकार : [उदाहरणार्थ – यात्री, मालवाहक, मनोरंजन नौका, सर्वेक्षण जलयान, नहर कूज नौका आदि]
- iii. हल पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो) : [एचआइएन दर्ज करें]
- iv. निर्माण सामग्री : [उदाहरणार्थ – इस्पात, जीआरपी/एफआरपी, लकड़ी आदि]
- v. लंबाई: [XX.XX] मीटर
- vi. चौड़ाई (: [XX.XX] मीटर
- vii. गहराई: [XX.XX] मीटर
- viii. ड्राफ्ट : [XX.XX] मीटर
- ix. निर्माण वर्ष : [वर्ष]
- x. निर्माण स्थान : [कार्यशाला/शिपयार्ड का नाम एवं पता]
- xi. बिल्डर का नाम : [यदि लागू हो]

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जलयान का डिजाइन एवं निर्माण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया गया है—(क) भारतीय मानक ब्यूरो; अथवा (ख) अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन; या कोई वर्गीकरण संस्था के प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से क्रय किया गया है (जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज (आइएसीएस) का सदस्य कोई वर्गीकरण संस्था है)।
2. मैं प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता तथा वैधानिक डिजाइन एवं निर्माण मानकों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता/करती हूँ। मुझे ज्ञात है कि कोई भी मिथ्या कथन अथवा गलत रिपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत दंड, पंजीकरण निरस्तीकरण अथवा अन्य विधिक परिणामों का कारण बन सकता है।
3. मैं यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि जलयान समुद्रयोग्य स्थिति में अनुरक्षित रहे तथा अंतर्देशीय जलयान (परिवर्तन या संशोधन के लिए पूर्व अनुमति) नियम, 2026 के अनुसार नामित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना उसमें कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा।

स्थान : [शहर/नगर]

दिनांक :

(दिन- माह- वर्ष)

मालिक के हस्ताक्षर मालिक का नाम

मोबाइल नंबर : _____

ई-मेल आईडी : _____

पता :

.....
.....

फॉर्म – घ

[नियम 5(5) देखें]

सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र – विशेष श्रेणी के जलयान

1. जलयान की श्रेणी : _____
2. वर्गीकरण (अध्याय-1 के नियम 5 के उप-नियम (3) के संदर्भ में) :
3. परिचालन क्षेत्र : _____

4. परिचालन समय : _____

5. सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र संख्या..... संचालन क्षेत्रजारी करने की तिथिसमाप्ति की तिथि.....

6. यह सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र नीचे वर्णित अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण के उपरान्त जारी किया गया है।

जलयान का नाम आधिकारिक संख्या.....

7. पंजीकरण बंदरगाह...

पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या...

सकल टनभार....

शुद्ध टनभार.....

8. प्रदत्त फ्रीबोर्ड : _____ मि.मी. क्या जलयान के किनारे लोडिंग मार्क लगाए गए हैं : हाँ / नहीं

मास्टर का नाम : _____

9. मास्टर / संचालक का दक्षता प्रमाण-पत्र (सीओसी) अथवा लाइसेंस श्रेणी...

संख्या..... जारी करने का स्थान..

10. इंजीनियर अथवा इंजन चालक का नाम :

11. इंजीनियर अथवा इंजन चालक का दक्षता प्रमाण-पत्र (सीओसी) अथवा लाइसेंस श्रेणी.....

संख्या.... जारी करने का स्थान...

12. लागू मैनिंग आवश्यकताओं के संबंध में ब्लूट(अध्याय-3 के नियम 4 के उप-नियम (3) एवं (4) के संदर्भ में) :.....

13. मालिक अथवा अभिकर्ता का नाम एवं पता :.....

14. सर्वेक्षण किए जाने की तिथि.....

सर्वेक्षण किए जाने का स्थान

.....

15. संचालन सीमाएँ (जहाँ लागू हो) : -

निम्नलिखित अंतर्देशीय जलसीमा के भीतर :

16. कार्गो / यात्री क्षमता : -

अधिकतम अनुमेय माल वहन क्षमता : _____ टन

अथवा.....

यात्रियों की संख्या : कू सहित : _____

जलयान पर उपलब्ध सुरक्षा उपकरण :

नौकाओं की संख्या, आकार एवं घन क्षमता	उत्प्लावक उपकरण अथवा लाइफ राफ्ट की संख्या	लाइफबॉय एवं लाइफ जैकेट की संख्या		अग्निशामक यंत्र			एंकरों की संख्या एवं उनका भार	लंबाई / आकार	
		लाइफबॉय	लाइफ जैकेट	फोम प्रकार	सोडा एसिड	ड्राई कार्गो पाउडर		एंकर केबल	होज

17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण तथा उससे संबंधित घोषणा के प्रेषण के संबंध में नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
18. यह प्रमाण-पत्र..... जब तक पूर्व में निरस्त अथवा वापस न लिया जाए, दिनांक _____ 20____ तक प्रभावी रहेगा।

सर्वेक्षक अथवा नामित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

[फा. सं. IWT-II-12011/1/2026-IWT-II]

डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

G.S.R. 507(E).— The draft of the Inland Vessels (Special Category Vessels—Classification and Standards) Rules, 2026, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred sub-sections (1) and (2) of section 42 and clause (a) of sub-section (1) of section 98 read with clause (zh) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act 2021 (24 of 2021), is hereby published as required by sub-section (1) of section 106 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 422, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at diriwt1-psw@gov.in, psw-usiwt2@gov.in, soiwt1-psw@gov.in and iwt-team@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Inland Vessels (Special Category Vessels—Classification and Standards) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to all special category vessels whose keel is laid or which is at such similar stage of construction on or after the publication of these rules in the Official Gazette.

3. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) “Act” means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);

(b) “automated vessels” means a mechanically propelled inland vessel that operates without onboard crew or significantly reduced manning and is remotely monitored or controlled;

(c) “canal cruise boat” means mechanically propelled inland vessel including houseboat designed or modified primarily for temporary accommodation for commercial activities or for private tourism or recreational activity, and carrying not more than fifty passengers;

(d) “classification society” means a recognised organisation within the meaning of clause (zo) of section 3 of the Act, which is a member of the International Association of Classification Societies;

(e) “designated authority” means an authority appointed by the State Government by notification under sub-section (3) of section 5 of the Act for the purposes specified in such notification and for exercising or discharging such powers, authority or duties as may be conferred under the Act and these rules.

(f) “excursion boat” means a private or commercial mechanically propelled inland vessel operating on inland waterways engaged in short-duration recreational, tourism or sightseeing voyages without provision for overnight accommodation and returning to the same or other berthing points on the same day;

(g) “Form” means a form appended to these rules;

(h) “non-metallic and composite materials” means materials, other than metals, used in the construction of a vessel, including wood, or fibre-reinforced plastics or glass-reinforced plastics, or other similar composite materials;

(i) “operational area” means the inland water area covered under any of the zones specified under section 4 of the Act, within which the vessels are to be operated, irrespective of the vessel’s place of registration;

(j) “operator” means a person operating a pleasure craft;

(k) “pleasure craft” means a mechanically propelled inland vessel including excursion boat, of less than ten meters in length, used for private or commercial water sports, river or lake cruising including yachting and other types of boating or water skiing or jet skiing or other similar commercial recreational activities;

(l) “semi-automated vessels” means a mechanically propelled inland vessel that incorporates a centralised or advanced control systems to perform certain navigational or operational functions, while retaining onboard crew for operation, control and supervision with such reduced manning as may be permitted by the designated authority of the State;

- (m) “shore” means the strip or area of waterfront land that is located alongside a body of inland waters;
- (n) “special category vessels” means the mechanically propelled inland vessels classified under rule 4;
- (o) “speed boat” means a mechanically propelled inland vessel having a planing or semi-planing hull form, designed and capable of attaining high speeds and operating at a Froude Number (Fn) of 0.8 or greater;
- (p) “surveyor” means the officer or person appointed by the State Government under section 10 of the Act.
- (2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER – I PRELIMINARY

4. Special category vessels.— (1) The mechanically propelled inland vessels shall be classified as special category vessels, considering the materials used for their design and construction, fueling system or source of power for propulsion, purpose of use for private or commercial water sports activities and other recreational activities, as follows: -

(a) alternative fuel and propulsion inland vessels, using –

- (i) Liquefied Natural Gas or Compressed Natural Gas as fuel;
- (ii) batteries for main propulsion, or, as an additional source of power for propulsion;
- (iii) methanol as fuel;
- (iv) hydrogen fuel cell or hydrogen internal combustion engines for main propulsion; and
- (v) ammonia as fuel;

(b) advanced technology vessels, namely: –

- (i) automated inland vessels which are remotely monitored and controlled;
- (ii) semi-automated inland vessels with centralised control systems and onboard crew;

(c) inland vessels constructed from non-metallic and composite materials, having their minimum sixty per cent. of the structural weight (hull, deck and superstructure) constructed –

- (i) of wood;
- (ii) of glass reinforced plastic or fibre reinforced plastic; and
- (iii) using composite or other similar alternative materials;

(d) recreational and tourism vessels, namely: –

- (i) pleasure crafts; and**
- (ii) canal cruise boats.**

(2) A vessel falling under more than one of the classes specified in sub-rule (1) shall be classified by the designated authority in the following order of precedence, namely:

- (i) alternative fuel and propulsion vessels;
- (ii) advanced technology vessels;
- (iii) recreational and tourism vessels; and
- (iv) Inland vessels constructed from non-metallic and composite material:

Provided that the classification of hybrid (powered by both engine and battery) or battery powered recreational and tourism vessels, having total propulsion power less than 100 KW or having length less than 10 meters, and operating in Zone 2 or Zone 3 shall be deemed as recreational and tourism vessels.

5. Survey and certification. – (1) A special category vessel referred to in clauses (a) and (b) of rule 4 shall be designed, constructed and maintained under the survey of a classification society:

Provided that, such vessel which is battery-propelled having total propulsion power less than 100 KW or having length less than 10 m, and is operating in Zone 2 or Zone 3, may be designed, constructed and maintained under the survey of the designated authority if the owner of the vessel opt to do so.

(2) A special category vessel referred to in clauses (c) and (d) of rule 4 shall be designed, constructed and maintained under the survey of such authorities as applicable to such vessels as per their Zone of operation specified in rule 4 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, all special category vessels operating in Zone 1 specified in section 4 of the Act shall be designed, constructed and maintained under survey of a classification society.

(4) The survey by the classification society shall be in addition to the survey conducted by the surveyor appointed under section 10 of the Act or survey by such person or organisation as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.

(5) The Certificate of Survey of a special category vessel shall be issued in Form D appended to these rules and Form No.5 of the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 shall not apply to such vessel.

6. Obligations of the owner of pleasure craft or canal cruise boat. – The owner of pleasure craft or canal cruise boat shall–

(a) ensure that the pleasure crafts and canal cruise boats shall be manned by the minimum number of crew members as specified in these rules;

(b) engage only qualified and competent crew members, who hold a valid licence issued by the designated authority, for operating and maintaining the pleasure crafts and canal cruise boats;

(c) comply with the requirements of crew training and certification for pleasure crafts and canal cruise boats in accordance with these rules;

(d) comply with the provisions of the Act and the applicable rules made thereunder;

(e) deploy the vessel within the area specified by the designated authority in Form D;

(f) ensure that the pleasure crafts operate strictly within visual range of the shore and remain clearly visible at all times during operation;

(g) ensure that the operation of the canal cruise boat, unless expressly permitted by the designated authority, shall be confined to daylight hours, fair season and safe conditions, taking into consideration factors such as wind speed, unseasonal rainfall and inland water swells.

Explanation.– For the purposes of this clause, the expression "fair season" means the period showing fair conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping or by such other authority as may be authorised by the Central Government or State Government;

7. Training requirements for special category vessels. —**The Inland Waterways Authority of India shall—**

- (a) review the training requirements and applicable courses including course structure and syllabus for various categories of crew for operation of special category vessels and revise such requirements from time to time; and**
(b) issue guidelines, including notifications and circulars, for the purpose of implementation, standardisation, and conduct of such training, including specification of course content, duration, assessment, and certification.

CHAPTER 2

CRITERIA AND STANDARDS FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MANNING OF ALTERNATIVE FUEL AND PROPULSION VESSELS

8. Application of Chapter 2. – The provisions of this Chapter shall apply to alternative fuel and propulsion vessels referred to in clause (a) of sub rule (1) of rule 4.

9. Standards for design and construction. — (1) The standards for design and construction of alternative fuel and propulsion vessels shall be governed by the provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 and other applicable rules:

Provided that the engine and its alternative fuel supply system or motors with batteries and battery management system, propulsion systems and other related components of such vessels, not covered by the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 and other applicable rules shall be designed and constructed in accordance with the standards specified by any classification society:

Provided further that the components of the battery propelled vessels having total propulsion power less than 100 KW, or having length less than 10 meters and are operating in Zone 2 or Zone 3, shall be designed and constructed in accordance with the standards specified by-

- (a) the Bureau of Indian Standards; or
- (b) the International Organisation for Standardisation; or
- (c) any classification society.

(2) The owner of the vessel referred to in sub-rule (1) shall furnish a declaration regarding standards for design and construction, in **Form C**, to the designated authority.

10. Threshold of compliance. – (1) Every alternative fuel and propulsion vessel referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 shall be constructed, equipped, maintained and operated in full compliance with the provisions of these rules.

(2) No Certificate of Survey shall be issued under rule 5 in respect of any alternative fuel and propulsion vessel unless such vessel is in full compliance with the design, construction, equipment and safety standards specified in these rules.

(3) Every existing alternative fuel and propulsion vessel, operating prior to commencement of these rules, shall continue to comply with the requirements for design and construction that were applicable to such vessels:

Provided that whenever such vessel undergoes a conversion, modification, or replacement of its propulsion system, fuel system, or main engines and starts operation using alternate fuels, the provisions of these rules shall apply to such conversion, modification, or replacement.

11. Manning.– (1) Every alternative fuel and propulsion vessel referred to in clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 shall comply with the minimum manning requirements specified under the Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

(2) No person shall act as Master or Engine Driver or Inland Engineer of an alternative fuel and propulsion vessel unless—

- (a) such person has successfully completed the training specified by the Inland Waterways Authority of India;
- and

(b) the Certificate of Competency bears the requisite endorsement made by the designated authority for the category of vessel on which such person is deployed.

CHAPTER 3

CRITERIA AND STANDARDS FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MANNING OF ADVANCED TECHNOLOGY VESSELS

12. Application of Chapter 3. – The provisions of this Chapter shall apply to advanced technology vessels referred to in clause (b) of sub rule (1) of rule 4.

13. Standards for design and construction of advanced technology vessel. – (1) The standards for the design and construction of advanced technology vessels shall be governed by the provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 and other applicable rules.

(2) The automation related components or other components of such vessels not covered under sub-rule (1) shall be designed and constructed in accordance with the standards specified by–

- (a) the Bureau of Indian Standards; or
- (b) the International Organisation for Standardisation; or
- (c) any classification society.

(3) The owner of the vessel shall furnish a declaration regarding standards for design and construction in Form C to the designated authority.

14. Threshold of compliance of advanced technology vessel. – (1) Every existing advanced technology vessel, operating prior to commencement of these rules, shall continue to comply with the requirements applicable to the said vessels:

Provided that whenever such vessel undergoes a conversion, modification, or replacement of its navigation systems, propulsion systems, control architecture, or automated components, the provisions of these rules shall apply to such conversion, modification, or replacement.

Provided further that crew requirement for such vessel may be reviewed and revised by the designated authority in accordance with rule 15.

(2) The communication and fail-safe mechanisms as specified in the Schedule to the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 shall apply to the automated and semi-automated vessels referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.

(3) Every advanced technology vessel shall be designed, constructed, equipped, maintained, and operated in full compliance with the provisions of these rules.

(4) No certificate of survey shall be issued to any advanced technology vessel under rule 5 unless such vessel is in full compliance with the applicable design, construction, automation, navigation, safety, and control standards specified in these rules.

15. Manning of advanced technology vessel. – (1) Every advanced technology vessel shall comply with the minimum manning requirements specified under the Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

(2) The manning requirements for advanced technology vessels shall be determined based on a risk-based assessment conducted by the designated authority considering the following factors, namely: –

- (a) the level of automation;
- (b) the operating zone;
- (c) the type of operation (cargo or passenger or survey or surveillance);
- (d) the duration of the voyage; and
- (e) the availability and adequacy of redundancy systems:

Provided that the designated authority may reduce the manning requirement of such vessels, other than the Master, without compromising safety of crew, passengers, if any, and vessels plying in inland waters and such exemption shall be recorded in Certificate of Survey of the vessel.

(3) The automated vessels may be allowed to operate without onboard crew subject to remote monitoring and shore-based support in accordance with the approval of designated authority, without compromising safety of crew, passengers, if any and vessels plying in inland waters.

Provided that where crew is not physically present onboard, it shall be mandatory to maintain continuous communication systems, and real-time monitoring infrastructure between such vessel and the designated control centre, duly inspected and certified by such authorities as applicable to such vessels under these rules.

Explanation.– For the purposes of this sub-rule the expression "designated control centre" means a designated shore-based facility responsible for the real-time monitoring and control of automated or semi-automated vessels.

(4) No person shall act as Master or Engine Driver or Inland Engineer of advanced technology vessels unless—

- (a) such person has successfully completed the training as specified by the Inland Waterways Authority of India; and
- (b) the Certificate of Competency bears the requisite endorsement made by the designated authority for the category of vessel on which such person is deployed.

CHAPTER 4

CRITERIA AND STANDARDS FOR DESIGN, CONSTRUCTION AND MANNING OF VESSELS CONSTRUCTED FROM NON-METALLIC AND COMPOSITE MATERIALS

16. Application of Chapter 4. – (1) The provisions of this Chapter shall apply to vessels constructed from non-metallic and composite materials, as specified in clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.

17. Standards for design and construction.– (1) The standards for design and construction of new vessels constructed from non-metallic and composite materials shall be governed by the applicable provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 and other applicable rules:

Provided that for materials and structural design, the designated authority may also consider the following standards, namely: –

- (a) the Bureau of Indian Standards; or
- (b) the International Organisation for Standardisation; or
- (c) any classification society.

(2) The relevant provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 shall apply to vessel constructed from non-metallic and composite materials subject to such adaptations in methods, materials or arrangements as may be considered reasonable by the designated authority:

Provided that the designated authority shall record reasons in writing while permitting compliance with alternative standards, including standards issued by the Bureau of Indian Standards or the International Organisation for Standardisation or any classification society, where it is satisfied that such standards provide an equivalent or higher level of safety in respect of the requirements specified:

Provided further that no such adaptation or modification or exemption shall be permitted which may dilute the requirements relating to structural integrity, watertight integrity, stability, freeboard, fire safety, machinery safety and essential safety systems.

(3) The owner shall furnish a declaration regarding standards for design and construction followed, in **Form C** to the designated authority.

18. Threshold of compliance. – (1) Every existing vessel constructed from non-metallic and composite materials, operating prior to the commencement of these rules, shall continue to comply with the requirements applicable to such vessels:

Provided that where such vessel undergoes a conversion, modification, or replacement of its hull, deck and superstructure, the provisions of these rules shall apply to such conversion, modification, or replacement.

(2) Every vessel constructed from non-metallic and composite materials shall be designed, constructed, equipped, maintained, and operated in compliance with the provisions of these rules.

(3) No certificate of survey shall be issued under rule 5 to any vessel constructed from non-metallic and composite materials unless such vessel is in compliance with the applicable design and construction standards specified in these rules.

19. Manning.– (1) Every vessel constructed from non-metallic and composite materials shall comply with the minimum manning requirements specified under the Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

(2) No person shall act as Master or Engine Driver or Inland Engineer of advanced technology vessels unless—

- (a) such person has successfully completed such training as may be prescribed by Inland Waterways Authority of India; and
- (b) the Certificate of Competency bears the requisite endorsement made by the designated authority for the category of vessel on which such person is deployed.

CHAPTER 5

CRITERIA AND STANDARDS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF PLEASURE CRAFTS

20. Application of Chapter 5. – The provisions of this Chapter shall apply to pleasure crafts up to length of 10 meters engaged in water sports activities, including but not limited to vessels employed for parasailing operations referred to in clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.

21. Standards for design and construction. – (1) The vessels referred to in rule 20 shall comply with the applicable standards specified by—

- (i) the Bureau of Indian Standards; or
- (ii) the International Organisation for Standardisation; or

(iii) any classification society.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the design and construction of pleasure craft shall comply with the following requirements, namely:—

(a) the hull design shall provide stability, buoyancy and smooth handling and hull form may be catamaran, monohull or multihull configuration as applicable;

(b) the stress points, such as the transom and hull-deck joints, shall be reinforced to withstand the loads imposed during high-speed manoeuvres;

(c) the loading conditions shall be analysed using finite element analysis or equivalent computational methods;

(d) the structural design and the material selection and scantling calculations shall be made in accordance with applicable standards referred to in sub-rule (1);

(e) all components shall be constructed using high-quality, marine-grade materials resistant to corrosion, ultra violet radiation and mechanical wear;

(f) the type of materials for construction shall include, but not limited to steel, aluminium, fiberglass, marine plywood, carbon fibre, polyvinyl chloride (PVC), polyurethane, Hypalon and polyethylene;

(g) the stability and buoyancy requirements of pleasure crafts used for water sports and related activities shall comply with standards referred to in sub-rule (1);

(3) All pleasure crafts shall be –

(a) equipped with safety gear and equipment in accordance with their categorisation;

(b) provided with adequate fire-fighting arrangements and life-saving appliances, appropriate to its size, type, propulsion system and intended operation, in accordance with the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022 and the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022, as may be deemed appropriate by the designated authority;

(c) provided with—

(i) additional fire extinguishers in machinery spaces and passenger spaces (if applicable);

(ii) at least one fire bucket with lanyard; and

(iii) one sand box with scoop in machinery space (if applicable), where fitted.

(iv) portable fire pumps of appropriate capacity (not less than twelve cubic meters per hour);

(v) lifesaving appliances applicable to such category of vessels:

Provided that the designated authority may, in the case of small open pleasure craft of length not exceeding six metres, fitted with low-powered outboard engines and without enclosed machinery spaces, permit exemption from the requirement of fire pump and such fire-fighting and life-saving appliances as may not be practicable, subject to such conditions as may be specified, where it is satisfied that—(A) the absence of such appliances does not adversely affect the safety of the crew, passengers, if any, or the vessel; and (B) adequate alternative safety arrangements, including portable fire extinguishers and personal flotation devices, are provided on board.

(4) Without prejudice to sub-rule (3), the following minimum safety equipment shall be provided onboard all such vessels, namely: –

(a) Type III or Type V Personal Flotation Devices for each person, including infants and child, conforming to the standards referred to in sub-rule (1);

(b) a fully stocked accessible and waterproof first aid kit shall be placed in a conspicuous and easily identifiable position;

(c) a whistle, sound-producing signaling device (horn) and approved visual distress signals (e.g., flares) shall be placed in a conspicuous and easily identifiable position;

(d) navigation lights as specified under the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signal) Rules, 2022 shall be available;

(e) safety equipments as per vessel category, length and engine power shall be as per the following table, namely:

—

Table

Sl. No.	Vessel Type	Length	Engine Power	Minimum Equipment	Safety
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Excursion boat (Tiller/Remote OBM)	< 3.5 m	OBM < 30 HP	- Rescue Tube (1) - 2 kg DCP Extinguisher (1)	Fire
2	Excursion boat (Tiller/Remote OBM/Inboard)	< 6 m	Tiller OBM < 40 HP Remote OBM/Inboard < 75 HP	- Rescue Tube (1) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Extinguisher (1)	Fire
3	Excursion boat (Remote OBM/Inboard)	6 – 10 m	Tiller OBM < 40 HP Remote OBM/Inboard < 90 HP	- Rescue Tube (2) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Extinguisher (1)	Fire
4	Speed boat (Remote OBM/Inboard)	< 6 m	< 50 HP	- Rescue Tube (1) - Life Buoy (1) - 4 kg DCP Extinguisher (1)	Fire
5	Speed boat (Remote OBM/Inboard)	6 – 10 m	> 50 HP	- Rescue Tube (2) - Life Buoy (1) 4 kg DCP Extinguisher (1)	Fire
6	Personal Watercraft (Jet Ski)	< 3.5 m	90-310 HP Inboard Jet Engine	- Throw Bag (1) 4 kg DCP Extinguisher (1)	Fire
7.	Parasailing Boat (Winch launch) (Inboard Engine)	≤ 10 m	Inboard 150-350 HP	-Rescue Tube (2) -Life Buoy (2) - -4kg DCP Fire Extinguisher (2)	
8.	Parasailing Boat (Beach launch) (Remote OBM/ Inboard)	≤ 10 m	OBM/Inboard 150-350 HP	-Rescue Tube (2) -Life Buoy (2) -4kg DCP Fire Extinguisher (2)	
9.	Scuba Diving Boat (Remote OBM/ Inboard)	≤ 10 m	OBM/ rd 90 – 150 HP Inboa	-Rescue Tube (2) -Life Buoy (2) -4kg DCP Fire Extinguisher (2)	
10.	Rescue Boat (Tiller/Remote, OBM/Inboard)	3.5 - 6 m	OBM/ rd 30-40 HP Inboa	-Rescue Tube (1) -Life Buoy (1)	

				-4kg DCP Fire Extinguisher (1) -Spine Board with head immobilizer and belts (1) -Oxygen Cylinder with Pocket Mask 9kg (1)
--	--	--	--	---

(5) Notwithstanding anything contained in rule 4 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, the requirements applicable to parasailing (winch-launch) vessels not exceeding 10 metres in length shall be applicable to the existing parasailing (winch-launch) vessels of up to 10.5 metres in length, operating on the date of commencement of these rules, only for the purpose of parasailing operations.

(6) All engine and fuel system equipment of pleasure crafts used for water sports and related activities shall comply with the standards referred to in sub-rule (1).

(7) All pleasure crafts intended for water sports and similar activities, shall be fitted with engines and fuel systems that meet applicable safety, environmental and construction standards as specified by the State Government.

(8) Only marine-grade engines, specifically designed for water sports and high-performance applications shall be installed.

(9) All engines shall comply the provisions of the rule 9 and rule 10 of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022 with particular reference to emission norms and noise level.

(10) Fuel systems shall be installed strictly in accordance with the engine manufacturer's specifications and recommendations.

(11) Builders shall ensure—

- (a) use of secure and leak-proof fittings;
- (b) adequate ventilation of fuel compartments; and
- (c) use of fire-resistant materials and components.

(12) The steering, throttle and emergency controls shall be intuitively placed, clearly marked and easily operatable with minimal physical effort.

(13) Control systems shall be designed to reduce operator fatigue and enhance responsiveness, particularly in high-speed or dynamic operating conditions.

(14) A builder's certificate shall be issued confirming compliance with the fuel system installation standards.

(15) All electrical installations and equipment, including wiring, battery systems, switches and associated apparatus, shall conform to the standards referred to in sub-rule (1) and the following requirements, namely: –

- (a) all electrical wirings shall consist of marine-grade, tinned copper conductors or other wiring of equivalent standard, duly insulated and appropriate for marine use and securely fastened and routed to prevent physical damage and adequately protected against exposure to moisture and corrosive elements;
- (b) battery systems shall be installed in adequately ventilated and secured enclosures and be fitted with properly insulated terminals and provided with suitable fusing and overcurrent protection devices;
- (c) the installation shall be designed to prevent spillage, short-circuiting and ensure resistance to vibration and corrosion;
- (d) all electrical equipments, including switches, connectors and fixtures, shall be of waterproof or water-resistant type, suitable for use in marine environments;
- (e) all such equipments shall be installed and maintained in a manner that ensures operational safety and mitigates the risk of electrical hazard.

(16) All pleasure crafts and water sports vessels shall be equipped with navigation and communication systems necessary for ensuring safe operation, situational awareness and emergency response.

(17) The following minimum equipment shall be provided onboard such vessels, namely: –

- (a) a functional GPS unit shall be installed to enable real-time and accurate positional tracking and route navigation, especially in restricted or busy waterways;
- (b) each vessel shall carry at least one operational smartphone or waterproof mobile communication device, capable of–

- (i) contacting other vessels,
- (ii) communicating with shore-based emergency services; and

- (iii) receiving weather and navigational alerts where available;

(c) a marine-grade compass shall be installed as a backup navigational aid in the event of electronic equipment failure;

(18) All pleasure crafts and water sports vessels engaged in water sports activities shall be ergonomically designed to ensure safety, comfort and efficient operation for both passengers and crew and such design shall comply with standards referred to in sub-rule (1).

(19) The design features shall include the following minimum ergonomic requirements, namely: –

- (a) all passenger and operator seating shall be secure, comfortable and fitted with appropriate safety restraints as required;
- (b) seating shall provide adequate support to minimise injury risk during rapid acceleration, maneuvering, or wave impacts.

22. Additional requirements for parasailing boat, scuba diving boat and rescue boat.–

(1) All parasailing boat, scuba diving boat and rescue boat shall comply with the applicable standards specified by–

- (i) the Bureau of Indian Standards; or
- (ii) the International Organisation for Standardisation; or
- (iii) any classification society.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the parasailing boat, scuba diving boat and rescue boat shall comply with the following additional requirements, namely:–

(a) winch of parasailing boat shall be designed as per applicable Indian Standards or classification society requirements or International Standards with the following minimum requirements, namely: –

- (i) winch drum with rope liner shall be constructed with stainless steel 316 or anodized aluminium;
- (ii) hydraulic motor working pressure shall be upto min 190 bar;
- (iii) stainless steel 316 mast for parasail rope having tested load capacity of 1.3 to 1.5 ton shall be used;
- (iv) parasail towlines shall be polyamide or nylon braided with a minimum rated tensile strength between 4 – 5 ton;
- (v) parasail towlines shall not exceed the maximum length recommended by the towline, winch and parasail equipment manufacturers (shortest length recommended by these three shall be considered for limiting the maximum length).

(3) Scuba diving boat shall be designed duly considering applicable standards referred to in sub-rule (1) and the following requirements, namely: –

(a) adequate provision shall be made for safe and secure stowage of Buoyancy Control Devices (BCD) for–

- (i) each diver carried on board; and
- (ii) an additional reserve of not less than twenty-five per cent. of the total number of divers, subject to a minimum of two additional BCDs;

(iii) each BCD shall be –

- (A) of appropriate size and type suitable for the intended diving operations;
- (B) maintained in serviceable condition, and
- (C) readily accessible and properly secured to prevent movement or damage;

- (iv) provision of swim platform for diver's entry and exit in water
 - (v) stainless steel ladder with appropriate inclination for re-boarding of diver from water.
- (4) Rescue boat shall be designed considering applicable standards referred to in sub-rule (1) and comply with the following requirements, namely: –

- (a) upto five seating capacity or minimum 6 meters length;
- (b) sufficient space to place spine board on the deck;
- (c) provision for stowing portable oxygen cylinder and First Aid kit.

23. The provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 shall apply to pleasure crafts constructed of wood, fibre reinforced plastic or similar materials in respect of the components not covered by these rules, subject to such adaptations in methods, materials or arrangements as may be considered necessary by the designated authority:

Provided such adaptation in methods, materials or arrangements shall not dilute the requirements relating to structural integrity, watertight integrity, stability, freeboard, fire safety, machinery safety and essential safety systems.

24. Threshold of compliance. – (1) Every existing pleasure craft operating prior to commencement of these rules shall continue to comply with the requirements applicable to such vessels:

Provided that where a pleasure craft undergoes a conversion, modification, or replacement, the provisions of these rules shall apply to such conversion, modification, or replacement.

(2) No certificate of survey shall be issued to any pleasure craft unless such vessel complies with the applicable design, construction, automation, navigation, safety, and control standards specified in these rules.

CHAPTER 6

CRITERIA AND STANDARDS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION OF CANAL CRUISE BOATS

25. Application of Chapter 6.– The provisions of this Chapter shall apply to canal cruise boat–

- (a) not exceeding 30 meters in overall length;
- (b) intended for recreational use;
- (c) powered by inboard motors, outboard motors, or battery propulsion systems; and
- (d) carrying not more than 50 passengers.

26. General requirements.– Canal cruise boats shall comply with the following requirements, namely: –

- (a) fuel storage shall be in a restricted area, free from hazards;
- (b) bathroom floors shall be impervious to water.

27. Standards for design and construction. – (1) The Canal cruise boats referred to in rule 25 shall comply with the applicable standards specified by–

- (i) the Bureau of Indian Standards; or
- (ii) the International Organisation for Standardisation; or
- (iii) any classification society.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the design and construction of canal cruise boats shall comply with the following requirements, namely:–

- (a) all components shall be constructed using high-quality, marine-grade materials resistant to corrosion, ultra violet radiation and mechanical wear and such materials shall be selected having regard to the vessel's design, intended service, and operating conditions, which may include—

- (i) primary structural materials, namely: –
- (A) steel;
 - (B) aluminium and its alloys;
 - (C) fibre-reinforced plastic, including glass-reinforced plastic;
 - (D) wood and marine-grade plywood;
 - (E) composite materials, including carbon fibre reinforced polymers;

- (ii) secondary or non-structural materials, namely: –
- (A) polyvinyl chloride;
 - (B) polyethylene (including low-density polyethylene and high-density polyethylene);
 - (C) polyurethane;
 - (D) hypalon or other synthetic rubber-based fabrics;

Provided that the materials specified under sub-clause (ii) shall not be used as primary load-bearing structural components unless specifically approved by the designated authority or a classification society.

(b) the hull design shall provide stability, buoyancy and smooth handling;

(c) stress points, such as the transom and hull-deck joints, shall be reinforced to withstand the loads imposed during high-speed manoeuvres;

(d) all canal cruise boats shall comply with Chapter IV of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024:

Provided that the designated authority may exempt any or all requirements of the said Chapter of the said rules where watertight bulkheads are impractical or not provided in boats and alternate arrangements shall be ensured for equivalent buoyancy, damage survivability and safety;

(e) all canal cruise boats shall be equipped with safety gears and equipment appropriate to their category as per applicable rules and requirements applicable to such vessels;

(3) The following safety equipment shall be provided onboard all such vessels, namely:–

(a) firefighting equipment shall be provided in accordance with the provisions of the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022 and in the case of houseboats using highly flammable materials such as bamboo (panambu) or thatch to achieve a traditional ambience, additional water hydrants and fire extinguishers shall be provided;

(b) the hydrants and hoses shall be located in such a way that a jet of water can reach any part of the hull or superstructure that is constructed from such flammable materials;

(c) vessel owner shall provide fireproof kitchen materials and purified drinking water;

(d) life saving appliances shall comply with the standards specified under the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022;

(e) a fully stocked first aid kit and appropriate distress signaling devices shall be made available;

(f) emergency alarm buttons or systems shall be installed to alert crew and passengers in the event of an emergency, ensuring prompt response and evacuation, if necessary;

(g) navigational lights shall be installed and maintained in accordance with the Inland Vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules, 2022;

(h) all canal cruise boats shall be fitted with engines and fuel systems that meet applicable safety, environmental and construction standards as prescribed in these rules.

(2) (a) Only marine-grade engines, specifically designed for high-performance applications, shall be installed and all engines shall comply with the provisions of rule 9 and rule 10 of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, with particular reference to emission norms and noise level.

(b) Fuel systems shall be installed strictly in accordance with the engine manufacturer's specifications and recommendations and rules 56 to 58 of Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024.

(c) Fuel systems shall comply with the following additional requirements, namely:—

- (i) use of secure and leak-proof fittings;
- (ii) adequate ventilation of fuel compartments; and
- (iii) use of fire-resistant materials and components.

(3) Steering, throttle and emergency controls shall be intuitively placed, clearly marked and easily operable with minimal physical effort and control systems shall be designed to reduce operator fatigue and enhance responsiveness, particularly in high-speed or dynamic operating conditions.

(4) A builder's certificate shall be issued confirming compliance with the above installation standards.

(5) All electrical installations and equipment, including but not limited to wiring, battery systems, switches and associated apparatus, shall comply with the following requirements, namely:—

(a) all electrical wiring shall consist of marine-grade, tinned copper conductors or other wiring of equivalent standard, duly insulated and appropriate for marine use which shall be securely fastened, routed to prevent physical damage and adequately protected against exposure to moisture and corrosive elements;

(b) battery systems shall be—

- (i) installed in adequately ventilated and secured enclosures;
- (ii) be fitted with properly insulated terminals;
- (iii) be provided with suitable fusing and overcurrent protection devices; (iv) designed to prevent spillage, short-circuiting and ensure resistance to vibration and corrosion;

(c) all electrical equipment, including switches, connectors and fixtures, shall be—

- (i) of waterproof or water-resistant type, suitable for use in marine environments;
- (ii) installed and maintained in a manner that ensures operational safety and mitigates the risk of electrical hazard.

(6) All canal cruise boats, shall be equipped with navigation and communication systems necessary for ensuring safe operation, situational awareness and emergency response, as per applicable rules.

(7) The following equipment shall be provided onboard such vessels, namely: —

(a) a functional Global Positioning System (GPS) unit shall be installed to enable real-time and accurate positional tracking and route navigation, especially in restricted or busy waterways;

(b) each vessel shall carry at least one operational smartphone or waterproof mobile communication device, capable of—

- (i) contacting other vessels;
- (ii) communicating with shore-based emergency services; and
- (iii) receiving weather and navigational alerts where available.

(c) a marine-grade compass shall be installed as a backup navigational aid in the event of electronic equipment failure;

(8) (a) All canal cruise boats shall be ergonomically designed to ensure safety, comfort and efficient operation for both passengers and crew.

(b) The canal cruise boats shall comply with the standards referred to in sub-rule (1) and the following ergonomic requirements, namely:—

(i) all passenger and operator seating shall be secure, comfortable and fitted with appropriate safety restraints as required;

(ii) Seating shall provide adequate support to minimise injury risk during rapid acceleration, manoeuvring, or wave impacts.

(9) All canal cruise boats shall adhere to the following environmental protection requirements to ensure eco-friendly operations on inland waterways, namely:—

(a) canal cruise boats shall utilise sustainable materials and adopt environment friendly construction practices to minimise ecological impact;

(b) vessels shall be equipped with facilities for segregation of solid waste into the following categories, namely:—

(i) biodegradable waste (e.g., kitchen waste);

(ii) non-biodegradable waste (e.g., thermocol products, aluminium foil, etc.);

(iii) recyclable waste (e.g., newspapers, bottles, cans, etc.).

(c) each canal cruise boat shall be provided with an appropriate sewage treatment plant or bio-digester or holding tank of such capacity sufficient for the number of persons on board and direct discharge of any sewage into inland waterways shall be prohibited.

(d) all vessels shall be equipped with integrated waste water management systems, including holding tanks for sewage and wastewater;

(d) wastewater shall be disposed of in accordance with the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022.

(e) the use of biodegradable alternatives, such as paper or cloth bags, shall be actively encouraged and use of plastic bags shall be restricted onboard.

(10) Upon installation of wastewater holding tanks, a stability test shall be conducted to ensure that vessel safety is not compromised.

28. Battery System and Battery Management System. — (1) All battery propelled and hybrid canal cruise boats to which these rules apply shall comply with the applicable standards specified by—

(i) the Bureau of Indian Standards; or

(ii) the International Organisation for Standardisation; or

(iii) any classification society.

(2) All battery propelled and hybrid canal cruise boats shall comply with the following additional requirements, namely:—

(a) batteries and BMS shall—

(i) be tested and certified by a laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or by a classification society;

(ii) comply with the general requirements and test methods as per IS 17017 (Part 21);

(iii) successfully undergo environmental testing in accordance with the IS 9000 series or any equivalent standard.

(b) the battery compartments shall be clearly marked, adequately ventilated, and accessible only to authorised personnel;

(c) a suitable fire detection and suppression system shall be provided for battery compartments, and in the case of high-capacity battery installations, such system shall preferably be of clean agent type;

(d) a periodic maintenance schedule shall be maintained on board and shall be carried out by qualified or certified personnel;

- (3) The Battery Management System shall—
- (a) record and store operational parameters and fault data for a minimum period of one hundred and eighty days;
 - (b) be made available for inspection during surveys, audits, or any investigation following an incident.

(4) The provisions of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024 shall apply to canal cruise boats in respect of the components not covered by these rules, subject to such adaptations in methods, materials or arrangements as may be considered necessary by the designated authority:

Provided such adaptation in methods, materials or arrangements shall not dilute the requirements relating to structural integrity, watertight integrity, stability, freeboard, fire safety, machinery safety and essential safety systems.

Notwithstanding anything contained in above sub-rule 11, in respect of canal cruise boats constructed from wood or fibre reinforced plastic or glass reinforced plastic or similar composite materials, designated authority may grant exemption from the requirement of collision bulkheads.

Provided that alternative safety measures, duly assessed and approved by the designated authority, are implemented so as to achieve a level of safety not less than that required under Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024.

29. Threshold of Compliance. – (1) Every existing canal cruise boat, operating prior to the commencement of these rules, shall continue to comply with the requirements applicable to such vessels before the coming into force of these rules:

Provided that whenever such vessels undergoes a conversion, modification, or replacement, the provisions of these rules shall apply to such conversion, modification, or replacement.

(2) No certificate of survey shall be issued to any canal cruise boat unless such vessel complies with the applicable design, construction, automation, navigation, safety, and control standards specified in these rules.

(3) Canal cruise boats undertaking only daytime voyages may be exempted from requirement of crew accommodation as may be considered necessary by the designated authority.

CHAPTER 7

MANNING REQUIREMENTS FOR PLEASURE CRAFTS AND CANAL CRUISE BOATS

30. Application of Chapter 7.— This Chapter shall apply to all pleasure crafts and canal cruise boats.

31. General requirements for crew.— Every crew member of pleasure crafts and canal cruise boats shall—

- (a) be a citizen of India;
- (b) have attained the age of eighteen years;
- (c) be in sound health and physically fit to perform assigned duties;
- (d) possess a valid medical fitness certificate issued by a registered medical practitioner;
- (e) have successfully completed such basic safety, security, and life-saving training courses as may be specified by the Inland Waterways Authority of India for such category of vessels;
- (f) hold a valid licence appropriate to his role and the type of vessel, issued by the designated authority.

32. Form and equivalence of licence.— (1) The licence shall be issued to the crew by the designated authority in Form B and, upon issuance, shall be deemed to be a Certificate of Competency for the purposes of operating the specified category of pleasure craft or canal cruise boat.

(2) The licence for crew of pleasure crafts shall be issued upon completion of training and grant of certificate by a Certification Authority in Form A;

Explanation.— "Certification Authority", for the purposes of this rule and rule 32, means-

- (a) the National Institute of Water Sports (NIWS); or
 - (b) any other Central Government funded training institute approved by the Inland Waterways Authority of India;
- or

- (c) any private or State Government funded training institutes approved by the State Government,

responsible for providing training and issuing training completion certificate to operators of pleasure crafts operating within inland waters as per the courses specified by Inland Waterways Authority of India.

(3) The procedure for approval shall be as per SCHEDULE-I of the Inland Waterways Authority of India) of Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

(4) Every licence shall be valid for a period of five years and shall be renewed subject to completion of such refresher or other training as may be specified by the Inland Waterways Authority of India.

33. Recording of manning. — (1) The minimum manning for each vessel under this Chapter shall be recorded by the surveyor in the Certificate of Survey.

(2) The designated authority may specify additional crew for night operations or for operations under special navigational or environmental conditions.

34. Qualification and training of operator and crew of pleasure crafts. – (1) Every operator of a pleasure craft shall—

- (a) have passed at least the eighth standard;
- (b) possess a valid training completion certificate issued by a Certification Authority;
- (c) hold a valid boat operator's licence issued by the designated authority as per Form B;
- (d) have successfully completed a Life Saving Techniques (LST) course covering all components of the Basic Safety and Security Course from Certification Authority, and shall hold a valid certificate of such course;
- (e) have undergone training in vessel operation, navigation, and emergency procedures as may be specified by the Inland Waterways Authority of India for such category of vessels; and
- (f) demonstrate the ability to swim a distance of at least one hundred metres in free style within five minutes in still water.

(2) Every crew of a pleasure craft shall—

- (a) have basic vessel handling and safety skills;
- (b) have experience and knowledge of safety equipment and procedures;
- (c) have experience and basic knowledge of onboard machinery;
- (d) have successfully completed a Life Saving Techniques (LST) course covering all components of the Basic Safety and Security Course from Certification Authority, and shall hold a valid certificate of such course;
- (e) have undergone on-the-job training under the supervision of an experienced operator of a pleasure craft;
- (f) demonstrate the ability to swim a distance of at least one hundred metres in free style within five minutes in still water.

35. Qualification and training of master, engine driver and crew of canal cruise boat.— (1) Every master or engine driver of a canal cruise boat shall—

- (a) be minimum 8th class passed;
- (b) have completed basic safety and security course as per Inland Vessels (Manning) Rules, 2026;
- (c) have experience and knowledge of equipment, machinery, systems and maintenance;
- (d) be proficient in operation of canal cruise boats or houseboats; and
- (e) have experience in navigation and handling of vessel as a deckhand or GP rating for three years for Master or experience in operation and maintenance as a crew or GP rating (engine side) for three years for Engine Driver;
- (f) have training in vessel operation and safety procedures as may be specified by the Inland Waterways Authority of India for such category of vessels and hold a valid licence issued by the designated authority in Form B;
- (g) demonstrate the ability to swim a distance of at least one hundred metres in free style within five minutes in still water;
- (h) possess knowledge of safety equipment and emergency procedures;

- (i) possess knowledge of navigation, communication and signal equipments for masters;
 (j) have knowledge of machinery and systems for engine driver.

(2) Every crew of a canal cruise boat shall—

- (a) have knowledge of canal cruise boat systems and maintenance;
 (b) have experience in hospitality services if being engaged for related work;
 (c) demonstrate the ability to swim a distance of at least one hundred metres in free style within five minutes in still water;
 (d) have knowledge of safety equipment and emergency procedures;
 (e) have completed basic safety and security course as per Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

36. Approval of training institutes for training and certification of crew of pleasure craft and canal cruise boat.

– (1) The institute conducting the training for pleasure crafts shall be approved by Inland Waterways Authority of India for Central Government Institute.

(2) The private or State Government institute in a State shall be approved by the designated authority of the State.

(3) The procedure for approval shall be as per SCHEDULE-I of the Inland Waterways Authority of India of Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

(4) The institute conducting the training for canal cruise boats shall be approved by the Inland Waterways Authority of India for the Central Government Institute.

(5) The private or State Government institute in a State shall be approved by the designated authority of the State.

(6) The procedure for approval shall be as per SCHEDULE-I of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2026.

37. Responsibilities of operator of pleasure crafts and master of canal cruise boats. -The responsibilities of operator of pleasure crafts and master of canal cruise boats shall be to –

- (a) ensure the safe navigation and operation of the vessel;
 (b) conduct pre-departure safety checks and briefings;
 (c) maintain compliance with all rules and regulation;
 (d) oversee the safety of all passengers and crew;
 (e) maintain log books.

38. Crew training requirement and composition. – (1) The minimum crew size, their qualification and composition based on the type and size of the pleasure craft shall be as per the following table:

Sl. No.	Vessel Description	Vessel Length	Engine Power	Operator (No. & qualification)	Crew (No. & qualification)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Excursion boat with Tiller/ Remote Operated OBM	< 3.5 mtr	OBM- <30 HP	01 – PBH-T/R & LST-WS Certified	-
2.	Excursion boat with Tiller/Remote Operated	< 6 mtr	iii. Tiller operated OBM- < 40 HP, iv. Remote	01 – PBH-T Certified 01 – PBH-R	01 – LST-WS Certified

	OBM/ Inboard Engine		operated OBM/ Inboard Engine - < 75 HP	Certified	
3.	Excursion boat with Remote Operated OBM/ Inboard Engine	6 - 10 mtr	i. Tiller operated OBM- < 40 HP ii. Remote operated OBM/ Inboard Engine - <90 HP	01 - PBH-T Certified 01 - PBH-R Certified	01 - LST- WS Certified
4.	Speed boat Remote Operated OBM / Inboard Engine	< 6 mtr	Remote operated OBM/ Inboard Engine -> 50 HP	01 - PBH-R Certified	01 - LST- WS Certified
5.	Speed boat Remote Operated OBM / Inboard Engine	6 - 10 mtr	Remote operated OBM/ Inboard Engine -> 50 HP	01 - PBH-R Certified	02 - LST- WS Certified
6.	Personal Watercraft (Jet Ski)	<3.5 mtr	Inboard Jet Engine 90 - 310 HP	01 - PWC/Jet Ski Certified	-
7.	Parasailing Boat (Winch operated) (Inboard Engine)	≤ 10.5 m	Inboard 150- 350 HP	01 - PBH-R and Parasailing operation certified	02-LST-WS certified
8.	Parasailing Boat (Beach launch) (Remote OBM/ Inboard)	≤ 10 m	OBM/Inboard 150- 350 HP	01- PBH-R and Parasailing operation certified	02-LST-WS Certified
9.	Scuba Diving Boat (Remote OBM/ Inboard)	≤10 m	OBM/ Inboard 90 - 150 HP	01 -PBH-R certified	02-LST-WS Certified
10.	Rescue Boat (Tiller/Remote, OBM/Inboard)	3.5 - 6 m	OBM/ Inboard 30-40 HP	01 - PBH-T / PBH-R Certified	01 - LST- WS Certified

Note: Abbreviations/Course Details:

- (a) Tiller-controlled Power Boat Handling (PBH-T)
- (b) Remote-controlled Power Boat Handling (PBH-R)
- (c) Life Saving Techniques-Watersport Operators (LST-WS)
- (d) Personal Watercraft/Jet Ski operation(PWC/Jet Ski)

(2) Every canal cruise boat shall have -

- (a) a master, engine driver and a crew for sailing canal cruise boats having less than 20 pax capacity;
- (b) one master, one engine driver and two crew for sailing canal cruise boats having 20 to 50 pax capacity;
- (c) one master and two crew for battery operated or semi-automated boats;
- (d) additional manpower for night cruise as may be specified by designated authority;

(3) For stationary and moored canal cruise boats, designated authority may reduce manning requirements, without affecting the safety of passengers, crew and equipment.

39. Threshold of compliance. – The existing crews of pleasure crafts and canal cruise boats shall, within a period of three years, comply with the training requirements laid down in these rules, subject to obtaining necessary license from the designated authority within one year from the date of commencement of these rules.

40. Eligibility for Serang or Engine Driver II.– The existing pleasure craft operators with six years' experience or canal cruise boat crew with five years' experience on such vessels, out of which one year experience as operator or master or driver, shall be eligible for Serang or Engine Driver II.

Form A

[See rule 32(2)]

Logo of the Institute

Address of the Institute

Training Completion Certificate for Pleasure Crafts

Course code

..... Certificate No

/.....

This is to certify that Sri/Smt/Kumari:

.....
 ... Son/Daughter of
 D.O.B.

and holding INDIVC Number.....has successfully completed the:

‘.....
 (Course Name)

Conducted from to.....at

..... The course covers the requirements specified by Inland
 Waterways Authority of India. The course meets the requirement of the Inland Vessels (Special
 Category Vessels—Classification and Standards) Rules, 2026 for pleasure crafts.

Photo and Signature of Student

Signature of Principal

FORM B

[See rules 32 (1) and 34(1)(c)]

LICENSE FOR

(To be issued on the official letterhead of the designated authority)

1. License details

Certificate No.: _____

Date of Issue: (dd-mm-yyyy)License type: _____ Crew category: **Photo of License Holder**(Passport
size photo

Stamped

License Validity: From (dd-mm-yyyy) To (dd-mm-yyyy)

2. License holder details

Full name: _____
 attested)

Father's/Mother's _____ Name:

Date of birth: (dd-mm-yyyy) Blood

group: _____

Aadhaar/ID _____ No. _____ (Optional):

3. Contact information

Permanent _____ address:

Mobile number: _____

Email address: _____

4. Qualification and certification

Training _____ course _____ completed:

Certificate _____ No. _____ (course _____ completion):

Date of completion: | (dd-mm-yyyy)

Training _____ institute:

5. Remarks (if any)

6. Declaration by the License Holder

I, the undersigned, declare that the information provided above is true to the best of my knowledge. I understand that using the license beyond the validity period is prohibited and that renewal is my responsibility.

Holder's name and signature: _____

Date: (dd-mm-yyyy)

7. Issuing authority

Name of officer: _____

Designation: _____ Issuing

authority: National Institute for Water Sports / designated authority Office address:

Place of issue: _____

Signature with seal: _____

Date of issue: (dd-mm-yyyy)

Directions to License Holder

1. Usage of this license after its expiry date is strictly prohibited.
2. License renewal is the sole responsibility of the holder.
3. The original license must be presented at the time of renewal.
4. The designated authority reserves the right to renew, suspend, or cancel this licence in accordance with applicable rules.

Form C

[See rules 9 (2), 13 (2) and 17 (3)]

DECLARATION BY OWNER REGARDING DESIGN AND CONSTRUCTION STANDARD FOR THE VESSEL

To

The Surveyor or designated authority,

[Insert Name of State or Union Territory Maritime Board or authorized entity], [Insert address].

Date: [DD/MM/YYYY]

Subject: Declaration on Compliance with Design and Construction Standards of the Vessel

I, [Full Name], son/daughter of [Father's/Mother's Name], aged [Age], residing at [Full Address], being the owner of the vessel described below, hereby solemnly declare and affirm as follows:

(a) Vessel Details:

i. Name of vessel: [Insert Vessel Name]

ii. Type of vessel: [e.g., Passenger, Cargo, pleasure crafts, Survey, canal cruise boats, etc.]

- iii. Hull Identification number (if available): [Insert HIN]
 - iv. Material of construction: [e.g., Steel, GRP/FRP, Wood, etc.]
 - v. Length (LOA): [XX.XX] meters
 - vi. Breadth (B): [XX.XX] meters
 - vii. Depth (D): [XX.XX] meters
 - viii. Draft: [XX.XX] meters
 - ix. Year of construction: [YYYY]
 - x. Place of construction: [Workshop/Shipyard Name and Address]
 - xi. Builder's Name: [If applicable]
1. I hereby declare that the above-mentioned vessel has been designed and constructed in accordance of following standards (a) Bureau of Indian Standards, or (b) International Standards Organization, or.....or bought outright under certification of..... (a classification society and member of the International Association of Classification Societies).
 2. I undertake full responsibility for the accuracy of the information provided and compliance with the statutory design and construction standards. I am aware that any false statement or misrepresentation may lead to penalties, cancellation of registration, or other legal consequences under the Act.
 3. I shall ensure that the vessel is maintained in seaworthy condition and will not undergo any alterations or modifications without obtaining prior approval of designated authority as per Inland Vessels (Prior Approval for Alteration or Modification) Rules, 2026.

Place: [City/Town] Date:

[DD/MM/YYYY]

Signature of the Owner: _____

Name of the Owner _____ Mobile

Number: _____

Email ID: _____

Address: _____

Form D

[See rule 5 (5)]

Certificate of Survey – Special Category Vessels

1. Category of Vessel: _____
2. Classification (refer sub rule (3) of rule 5 of Chapter-1): _____
3. Operational Area: _____
4. Operational Timing: _____
5. Certificate of Survey No. _____ Zone of operation: _____ Date of Issue _____ Date of Expiry _____
6. This is Certificate of Survey has been issued subsequent to Survey carried out of the below detailed inland vessel.
Name of the Vessel _____ Official No. _____
7. Port of Registry _____ Certificate of Registry No. _____ Gross Tonnage _____
Net Tonnage _____,
8. Freeboard Assigned _____ mm, loading marks placed on the vessel's side: Yes/No, ___ Name of the Master _____
9. Master's/Operator's COC (or license) Grade _____ No. _____ Place of Issue _____
10. Name of the Engineer or Engine Driver _____
11. Engineer's or Engine Driver's COC (or license) Grade _____ No. _____ Place of Issue _____
12. Exemptions with respect to applicable manning (refer sub rule (3) and (4) of rule 4 of Chapter-3): _____
13. Name and Address of Owner or Agent: _____

14. Date of Survey carried out _____ Place of survey carried out _____ 15. Plying limits (as applicable):-

Within inland waters limits of _____

16. Cargo/passenger capacity: -

Maximum permissible cargo carriage capacity: _____ tonnes and /or _____

Passengers with _____ crew.

Safety equipment carried on the vessel:

No. of boats size and cubic capacity	No. of buoyant apparatus or Life rafts	No. of lifebuoys and lifejackets		Fire extinguishers			No. of anchors with their weight	Length size	
		Lifebuoy	Lifejacket	Foam type	Soda acid	Dry Cargo Powder		Anchor cable	Hose

17. This is to certify that the provisions of the rules with respect to the survey of the above-mentioned Inland Vessel and the Transmission of declaration in respect thereof, have been complied with.

18. This certificate, unless previously cancelled or revoked, to be in force until the ___day of ___20

Signed by Surveyor or designated authority

[F. No. IWT-II-12011/1/2026-IWT-II]
Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)